आरक्षित

ए एफ आर

न्यायालय संख्या–30

प्रकरण–रिट–ए संख्या–13156 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– महेंद्र पाल और अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–नील कमल मिश्रा, दीपक सिंह, नीतीश कुमार, प्रमोद कुमार यादव, राजीव नारायण पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी., अजय कुमार

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–8142 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:–रोविन सिंह व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, जय शंकर प्रसाद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी., अजय कुमार, ज्योतिंजय वर्मा, नंद किशोर पटेल, ओंकार सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–9050 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:–लोहा सिंह पटेल और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– गन्तव्या, दीपक सिंह, मेहा रश्मि, प्रमोद कुमार यादव

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी., अजय कुमार, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, बी.आर. सिंह, दुर्गा प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–9683 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– श्वेता चौहान और अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आत्रेय त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी., अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला, बीर बहादुर यादव, बृजेंद्र कुमार वर्मा, सुभाष चंद्र पांडे, सुरेंद्र सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या.–9767 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– भास्कर सिंह यादव व 11 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गिरीश चंद्र वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या.–10122 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:–विजय प्रताप यादव और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे, विनोद कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–10461 वर्ष 2020

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता: सुशील कुमार व अन्य।

प्रत्यर्थी–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी., अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला और अन्य

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–11261 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– राजेश कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – आदेश श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–11638 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– भूपेंद्र कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे, विनोद कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–11876 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– रविशंकर व अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–12793 वर्ष 2020

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:–अनामिका वर्मा व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गौरव मेहरोत्रा, इशिता यदु

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी, अजय कुमार, अंगद प्रसाद शुक्ला, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–18194 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–19535 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– प्रदीप कुमार मौर्य और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – विद्या भूषण पांडेय, आलोक कुमार विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–19554 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– निसार अहमद अंसारी और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–21706 वर्ष 2020

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:– धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दुर्गेश मिश्रा, जय प्रकाश पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–22188 वर्ष 2020

याचिकाकर्ता:– शशांक तिवारी व 19 अन्य।

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुज्तबा कमाल शेरवानी, अनस शेरवानी,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी, अजय कुमार, ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–3012 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–अनुराग यादव व अन्य।

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–4568 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– तसलीम बानो व अन्य।

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–नील कमल मिश्रा, अनुज सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–5323 वर्ष 2021

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता–एवरेस्ट कुमार और अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे, नीतीश कुमार, विनीत कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–5863 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– सुरेंद्र कुमार यादव औरं अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अनिल कुमार मौर्य, प्रमोद कुमार मौर्य

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–6527 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– कुलदीप कुमार वर्मा व अन्य

प्रत्यर्थी: –उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –अजय प्रताप सिंह चौहान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: –सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7678 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–कृष्णा कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–श्याम मोहन उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–8090 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: –आनंद कुमार विश्वकर्मा और एक अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– विद्या भूषण पांडेय, आलोक कुमार विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–8414 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–मुलायम सिंह व अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–9501 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– सावित्री पटेल व अन्य।

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–नंद किशोर पटेल, ओंकार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–12510 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– कुलदीप कुमार व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता: – ज्ञानेंद्र कुमार पांडे

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–12552 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– आशुतोष वर्मा और एक अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – ओंकार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–12819 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: सुनील कुमार गुप्ता व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – राजीव नारायण पांडे

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–13587 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–रेखा सिंह

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – धर्मेंद्र सिंह, देवेंद्र नाथ त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–14913 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– रंजीत यादव और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–15040 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– जस वीर व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–16083 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– देवेंद्र प्रताप और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता: –विकास पांडे

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: –सी.एस.सी

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–16538 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–मो. मुईन व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–नील कमल मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, अजय कुमार, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–17441 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–ललित कुमार व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – ओंकार सिंह

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–17919 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– रवींद्र प्रताप यादव व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– राकेश कुमार यादव, ज्योति सिक्कनी मेहरोत्रा, मुलायम सिंह यादव, राघवेंद्र कुमार सैनी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:– सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–18167 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–अनिल कुशवाहा व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–श्याम मोहन उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–18496 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता :– रीना यादव और अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अजय कुमार, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–18529 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: –नूरुलहक और अन्य

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह, अखंड प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, अजय कुमार, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–18709 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–इंद्रजीत यादव

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– अजय माधवन, अभिषेक सिंह यादव, शिवा शशांक

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–19050 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– नूरुद्दीन अहमद व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– हैदर अब्बास, मो. यासीन

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, नीरज चौरसिया

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–19564 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – प्रमोद कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–19601 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–अरविंद कुमार यादव

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –विद्या भूषण पांडेय

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–20205 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–प्रवेश कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– शिवानंद मिश्रा, कुमार गौरव श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–22652 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: – अभिषेक कुमार और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–22711 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–सतेंद्र कुमार कुशवाहा

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– श्याम मोहन उपाध्याय, सुनील कुमार मौर्य

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–22808 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता :– मो. आलम अंसारी व अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–23751 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– अनिकेत चंद व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अश्वनी कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–24401 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–कनिका यादव

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेश देव भट्ट, अवधेश कुमार तिवारी, मो. शहंशाह नवाज खान

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–26382 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: आशीष कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– दीपक सिंह, अदिति सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–26805 वर्ष 2021

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:– शिव प्रसाद यादव व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–26944 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– स्नेह लता और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अरुण कुमार वर्मा, आशुतोष द्विवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–27478 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–राकेश कुमार यादव और अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–28828 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– आंचल वर्मा व अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29292 वर्ष 2021

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता: – आलम हुसैन और 19 अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29600 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: हरीश बाबू व अन्य।

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह, अदिति सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29632 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता: कुमारी गायत्री और अन्य

प्रत्यर्थी–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – अरुण कुमार वर्मा, विक्रांत चौधरी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29687 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:–कृष्ण कुमार व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–शरद कुमार वर्मा, अरुण कुमार वर्मा, आशुतोष द्विवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29834 वर्ष 2021

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:–राज कुमार यादव और अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– माया राम यादव

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29976 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– सतीश कुमार व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–पंकज कुमार सिंह, जोवीन सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–29992 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– घनश्याम यादव और अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह, अदिति सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–30657 वर्ष 2021

याचिकाकर्ता:– राजेंद्र प्रसाद व अन्य।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–138 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–रमेश कुमार और 86 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और 5 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–258 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता :– रण विजय

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 4 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – अभिषेक यादव, कमलेश कुमार यादव, सुनील कुमार मौर्य

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–323 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–भारती पटेल और 5 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 9 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्रीधर अवस्थी, अशोक कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अंकित कुमार, अशोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, एलबी सिंह भदौरिया, लालता प्रसाद मिश्रा, मुज्तबा कमाल शेरवानी, नील कमल मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी, राजीव नारायण पांडे, राकेश कुमार चौधरी, रण विजय सिंह, श्रेया चौधरी, विद्या भूषण पाण्डेय

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–355 वर्ष 2022

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:–अमित कुमार और अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 4 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–विद्या भूषण पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–391 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अरुण प्रताप सिंह और 17 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– राम चंद्र, विकास यादव

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–435 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–रीता

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – पंकज वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–472 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– जितेंद्र कुमार व 116 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–चंदन प्रसाद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–688 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–महेंद्र प्रसाद मौर्य और 6 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा सचिवालय लखनऊ उत्तर प्रदेश और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– आदर्श कुमार मौर्य, राम कवल मौर्य

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–719 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: कमलेश सिंह व 5 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 2 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – सतीश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–919 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–पूजा वर्मा और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सचिवालय लखनऊ उत्तर प्रदेश और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – संजय कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–973 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–मोहिनी तिवारी व 29 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 13 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, मुज्तबा कमाल शेरवानी, ओंकार सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, राकेश कुमार चौधरी, रण विजय सिंह, श्रेया चौधरी

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–978 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा और 49 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और 13 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, दीपक सिंह, एलबी सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1126 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता–करुणा शंकर शुक्ला व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– गजेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. वी.के. सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:– सी.एस.सी, दीपक सिंह, एचबी सिंह भदौरिया, एल.बी. सिंह भदौरिया, एम.के. केसरवानी, एम.के. केशरवानी, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1144 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: – शिवम पांडे और 34 अन्य

प्रत्यर्थी– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 7 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–आई.एम. पांडेय प्रथम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, अशोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1162 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–विनय कुमार पाण्डेय और 34 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–आई.एम. पांडेय प्रथम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1549 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–राकेश पटेल व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– राजीव नारायण पांडे

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1556 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–संदीप कुमार और 261 अन्य

प्रत्यर्थी–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 5 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दीपक सिंह,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–जी.ए.

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1561 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–आशीष बाजपेयी और 3 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:– सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1566 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–नीतेश कुमार सिंह और 174 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 12 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दुर्गा प्रसाद शुक्ला

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1592 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अर्पित कुमार वाजपेयी और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –अभिषेक सिंह, अखंड कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: –सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1594 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– आलोक सिंह व अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1596 वर्ष 2022

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:–कुंवर धर्मेंद्र नाथ और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: –विवेक वर्मा, सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1598 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: –आदर्श श्रीवास्तव और अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – विवेक वर्मा, सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1599 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–आशुतोष बरुआ और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1600 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अनीता सिंह व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– गजेंद्र प्रताप सिंह

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – विवेक वर्मा, सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1602 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–शिव प्रकाश मिश्रा और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गजेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह, विवेक वर्मा

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1604 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–राम शंकर और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– गजेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह, विवेक वर्मा

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1694 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: अंजू त्रिपाठी और 19 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 13 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–1713 वर्ष 2022

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता:–अनिल कुशवाहा और 8 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 8 अन्य

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता:– श्याम मोहन उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, दीपक सिंह, एल.बी. सिंह भदौरिया, मुज्तबा कमाल शेरवानी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–2324 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–आशीष बरनवाल और 26 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 12 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– शशि बाजपेयी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–3005 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–ज्योति सिंह और 50 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग व 12 अन्य अधिवक्ता याचिकाकर्ता:–दुर्गा प्रसाद शुक्ला, अंगद प्रसाद शुक्ला, दुर्गा प्रसाद शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह, सुभाष चंद्र पांडे

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–3608 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–रबीन्द्र कुमार

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 6 अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– श्रीकांत मिश्रा, कुमार जयकृत

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–3651 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार गौतम व अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–3660 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– विष्णु

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 2 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –विनोद कुमार

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी.

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–4230 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–सुनील कुमार और 10 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–चंदन प्रसाद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–4653 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–विवेक कुमार सिंह और एक अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दिग्विजय सिंह यादव, मनीष कुमार सिंह,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–5816 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–कमिश्नर यादव

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 4 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– नरेंद्र बहादुर सिंह, प्रभात कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–5965 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अंकित कुमार मौर्य व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–6398 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–ऋचा यादव

प्रत्यर्थी–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– संतोष कुमार यादव वारसी, विश्वास

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–6562 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–विमलेंद्र कुमार सुमन और 2 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 2 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– ओंकार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–6969 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अर्चना यादव और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – धर्मेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7003 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– शिप्रा कुमारी

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – अमोल कुमार श्रीवास्तव, दीना नाथ साहा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7078 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– प्रियंका चौधरी व 47 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 5 अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता:– दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7204 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–दिग्विजय सिंह व 15 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) लखनऊ और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–मुकेश कुमार तिवारी, सुशील कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7234 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और 5 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – प्रशांत पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7258 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–राजेश यादव और 2 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गिरीश चंद्र वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7307 वर्ष 2022

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता :– हिमांशु यादव व अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: –दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7460 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–आकांक्षा पाल

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 2 अन्य

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता:–राकेश शर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7576 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता: – कृष्ण चंद्र और 9 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और 4 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– श्रेया चौधरी, राकेश कुमार चौधरी,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:– सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7652 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–श्रीमती कंचन पुष्पाकर और 3 अन्य

प्रत्यर्थी:– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 5 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – पायल सिंह, राम प्रकाश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7681 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– वीरेंद्र सिंह निरंजन और अन्य

प्रत्यर्थी: – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – दीपक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7908 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– मनोज कुमार और अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–महिमा द्विवेदी, अंजू सिंह, मंजू नागौर

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7930 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:– सुनील कुमार जायसवाल

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – अमरेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–7995 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अजय कुमार मिश्रा और 49 अन्य

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 8 अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:–दुर्गा प्रसाद शुक्ला, विवेक मिश्रा,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:–सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–8177 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता:–अनिरुद्ध कुमार

प्रत्यर्थी–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– अरविंद कुमार कनौजिया

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

और

प्रकरण–रिट–ए संख्या–8224 वर्ष 2022

याचिकाकर्ता–रुद्र देव वर्मा

प्रत्यर्थी:–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: – गिरीश चंद्र वर्मा, ज्योति राजपूत

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: – सी.एस.सी, रण विजय सिंह

माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला

अनुक्रमणिका

विषय पृष्ठ संख्या

A. परिचय
B. भर्ती कानून, नियम और संशोधन
C. आरक्षण कानून, नियम और संशोधन
D. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019
E. रिट याचिकाओं की श्रेणियां
F. अंतरिम आदेश

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

G. पक्षकारों के अभिकथन
H. विश्लेषण और निष्कर्ष
I. वरीयता जिलों के आवंटन का मामला
J. 6800 की चयन सूची दिनांकित 05.01.2022
K. निष्कर्ष

A. <u>परिचय</u>

1. आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जो किसी वंचित समूह को शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में पूर्व निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था आजादी से पहले भी विद्यमान थी। आजादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में आत्मसात हो गई। प्रारंभ में इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार 10 वर्षों की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। 10 वर्ष की अवधि के बाद, संसद ने समाज के कतिपय वर्गों के कई वर्षों के सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव से उबरने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की और इस तरह यह आजादी के 75 वर्ष बाद भी अस्तित्व में है।

2. हमारे संविधान के अन्तर्गत, आरक्षण सभी सामाजिक समूहों द्वारा राज्य की शक्ति का साझा किया जाना इंगित नहीं करता, बल्कि यह उन कमजोर और वंचित समूहों के मुख्य धारा में समावेश को संदर्भित करता है, जो विभिन्न कारणों से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े थे। इस प्रकार, हमारे संविधान में आरक्षण का अर्थ ऐसे वंचितों के उत्थान के लिए एक समावेशी उपाय है और अनिवार्य रूप से इसकी प्रकृति सहभागिता वाली है, ताकि पिछड़े वर्गों को न केवल मुख्य–धारा के बराबर लाया जा सके, बल्कि वे भी हमारे देश के विकास, प्रशासन, प्रगति और उपलब्धि में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

3. जहाँ हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण से संबंधित है। दिलचस्प

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

बात यह है कि दोनों अनुच्छेदों में प्रयुक्त शब्द"पिछड़ा" अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही वह शब्द है, जो तब से विवाद के केंद्र में रहा है जब से यह अनुच्छेद अस्तित्व में आया है। हालाँकि, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में वर्णित "किसी के पक्ष में" और "नागरिकों के वर्ग" शब्दों के बीच में "पिछड़ा" शब्द अन्तःस्थापित किया था और अंततः यह निर्धारित करना संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया गया कि किसे पिछड़ा कहा जा सकता है। हालाँकि, "पिछड़ा" शब्द का अर्थ, जैसा कि वर्तमान प्रगतिशील भारत में समझा जाना चाहिए, श्री केएम मुंशी के स्पष्टीकरण से समझा जा सकता है, जो हमारे संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 (जो मूल रूप से अनुच्छेद 10 के रूप में पेश किया गया था) से संबंधित संविधान सभा में एक बहस में,"पिछड़ा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाने संबंधी चर्चा के दौरान इसका संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि उक्त शब्द अस्पष्ट है, उस समय श्री केएम मुंशी ने 'पिछड़ा' शब्द की अन्तर्वस्तु को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

> "हम इस प्रावधान से दो लक्ष्य अनुरक्षित करना चाहते हैं। पहले खंड में मौलिक अधिकार में हम राज्य की सेवाओं में उच्चतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं – उच्चतम दक्षता जो सेवाओं को प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से कार्य करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही, हमारे देश में कई प्रांतों की प्रचलित स्थिति को देखते हुए, हम यह भी चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, वह वर्ग जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है, को राज्य सेवाओं में जगह दी जानी चाहिए क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि राज्य सेवाएं देश की सेवा करने की प्रास्थिति और अवसर प्रदान करती हैं, और यह अवसर हर समुदाय को दिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि पिछड़े लोगों के बीच भी। ऐसा होने के कारण, हमें कोई प्रतिनिधिक शब्द खोजना होगा और "पिछड़ा वर्ग" शब्द सबसे अच्छा संभव शब्द था।"

श्री मुंशी ने आगे कहा:

> मैं बता सकता हूं कि पिछले कई वर्षों से बंबई प्रांत में पिछड़े वर्गों की एक परिभाषा रही है, जिसमें न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं जो आर्थिक, शैक्षिक

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इसलिए, हमें "पिछड़े" शब्द के दायरे को किसी विशेष समुदाय तक के लिए परिभाषित या सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पिछड़ा होगा वह इसमें आ जाएगा और मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों की आशंकाएं उचित नहीं हैं।

4. 'आर्थिक कसौटी' के आधार पर दिया गया आरक्षण एक ऐसा कदम है, जिसमें गरीबी को ऐसी अधीनता के रूप में देखा जाता है जो 'सामाजिक पिछड़ेपन' को दर्शाता है। जैसा भी हो, बड़ी बहस हमेशा बनी रहेगी कि क्या यह आरक्षण कहानी का अंत होना चाहिए या सरकार को कल्याणकारी नीतियों से परे अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इस न्यायालय के विचार में, आरक्षण को समस्या के अंत के रूप में नहीं बल्कि हमारी प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

5. जैसा कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान करने की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए धारित किया गया, जो निम्नानुसार है:

> "आरक्षण एक साध्य नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। आरक्षण को निहित स्वार्थ बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि वास्तविक समाधान उन कारणों को खत्म करने में निहित है जिससे समुदाय के कमजोर वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं।"
>
> माननीय न्यायमूर्ति पी.बी. पारदीवाला, जो हाल ही में 7 दिसंबर, 2022 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "जनहित अभियान बनाम भारत संघ" मामले में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखने वाले निर्णय में बहुमत विचार के साथ थे।

6. इंद्रा साहनी, एआईआर 1993 एससी 477 के मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय में दिए गए अभिमत से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण के पीछे का उद्देश्य

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

राज्य शक्ति में सहभागिता थी। उक्त निर्णय में कहा गया है कि राज्य की शक्ति जो विशेष रूप से लगभग ऊंची जातियों यानी कुछ समुदायों के एकाधिकार में थी, को अब व्यापक आधार देने का प्रयास किया गया था, जिसमें पिछड़े समुदायों को, जिन्हें अब तक सत्ता तंत्र से बाहर रखा गया था, उसमें शामिल किए जाने का प्रयास किया गया और चूंकि यह सामान्य प्रक्रिया में व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। संक्षेप में, अनुच्छेद 16 (4) के पीछे का उद्देश्य वंचित पिछड़े समुदायों को प्रशासनिक तंत्र और समुदाय के शासन में सहभाग देने के लिए उन्हें सशक्त बनाना था।

7. वर्तमान वाद समूह राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में सूक्ष्म विचलन से संबंधित विवाद से उपजा है, जिसमें मूल मुद्दा मेधावी आरक्षित वर्ग (MRC) के सामान्य श्रेणी में समायोजन और इसका आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों श्रेणियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। इससे पहले कि यह न्यायालय वर्तमान मामलों में तथ्यों और मुद्दों पर विचार करे,उत्तर प्रदेश राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कानून का अवलोकन लाभप्रद होगा।

B. <u>भर्ती कानून, नियम एवं संशोधन</u>

8. उ.प्र. बेसिक शिक्षा अधिनियम,1972 (एतस्मिनपश्चात "**अधिनियम**" के रूप में संदर्भित) उत्तर प्रदेश राज्य में बेसिक शिक्षा से संबंधित प्राथमिक कानून है। अधिनियम की धारा 19 (1) राज्य को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और अधिनियम की धारा 19 (2) (क) और (ग) राज्य को शिक्षकों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देती है। इस प्रकार, राज्य ने उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 (एतस्मिनपश्चात "**नियमावली**" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम बनाए, जिसमें उक्त नियमावली के नियम

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

8 में परिषद के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता विहित की गयी है।

9. अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के विभिन्न विवरणों से हटकर, इस न्यायालय ने इस याचिका समूह में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पाया कि राज्य सरकार ने उ.प्र. बेसिक (शिक्षक) सेवा (20 वां संशोधन) नियमावली, 2017 अधिसूचित किया। जिसके द्वारा 1981 की नियमावली को 09.11.2017 को संशोधित किया गया और निम्नलिखित पदों को नियम 2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया:

> "(ज) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" का अर्थ है सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा;
>
> (झ) "शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक" :– शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक ऐसे होंगे जो समय–समय पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किए जाएं;
>
> (ञ) "प्रशिक्षु शिक्षक" का अर्थ है वह अभ्यर्थी जिसने बी.एड./बी.एड (विशेष शिक्षा)/डी.एड. (विशेष शिक्षा) पास किया हो और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है;
>
> (ट) "शिक्षा मित्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के लागू होने से पूर्व शासनादेशों के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यक्ति से है;
>
> या ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा मित्र रहा है और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हो और एसएलपी संख्या 32599/2015 उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम आनंद कुमार यादव एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

निर्णय के अनुसरण में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया है।

(ठ) "सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा" का तात्पर्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में किसी व्यक्ति की भर्ती के लिए सरकार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से है;

(ड) "सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अर्हक अंक" का तात्पर्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम अंकों से है।

(ढ) "सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दिशा–निर्देश" का तात्पर्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राविधानित दिशा–निर्देशों से है। "

10. इस प्रकार, एटीआरई (सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा) की अवधारणा 20 वें संशोधन की घोषणा से अस्तित्व में आई और नियम 5 (क) (ii) में सहायक शिक्षकों की भर्ती के स्रोत के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया कि वह नियम 14 में यथा विहित अनुसार सीधी भर्ती द्वारा होगी। इसके अलावा, नियम 8 (1) सहायक शिक्षकों की वांछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:

"8. शैक्षणिक योग्यता– (1) नियम 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य योग्यता प्रत्येक के सामने नीचे दी गई है:

पद	शैक्षणिक योग्यता
(i) नर्सरी स्कूल की अध्यापिका	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण का प्रमाण पत्र (नर्सरी) और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक	ii.(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री, साथ ही साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ बेसिक शिक्षक प्रमाणपत्र (बीटीसी) से युक्त प्रशिक्षण, दो साल का बीटीसी (उर्दू), विशिष्ट बीटीसी, भारत की पुनर्वास

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अध्यापिका	परिषद द्वारा अनुमोदित दो साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन) या प्राथमिक शिक्षा में चार साल की डिग्री (B.El.Ed.), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम के अनुसार दो साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (किसी भी नाम से प्रख्यात) अथवा प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़ी जाने वाली कोई प्रशिक्षण योग्यता और भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) एक प्रशिक्षु शिक्षक जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रार भिक शिक्षा में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। (ग) एक शिक्षामित्र जिसके पास भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री है और उसने दो साल का दूरस्थ शिक्षा बीटीसी पाठ्यक्रम या बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट (बीटीसी), बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) (उर्दू) या राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित विशिष्ट बीटीसी सफतलतापूर्वक पूरा किया है और भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है।
(iii) प्रशिक्षु शिक्षक	(iii) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री के साथ–साथ बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) योग्यता और सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। हालांकि, बी.एड. (विशेष शिक्षा) / डी.एड. (विशेष शिक्षा) के मामलों में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

11. इसी प्रकार, उ.प्र. बेसिक (शिक्षक) सेवा (20 वां संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 14 का जहाँ तक संबंध है यह रिक्तियों के निर्धारण और सूची तैयार करने से संबंधित है। उक्त नियम में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है:

"14. रिक्तियों का निर्धारण और सूची तैयार करना

(1) (क) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी विद्यालयों की अध्यापिका एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा साथ ही नियम 9 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और विहित प्रशिक्षण योग्यता एवं सरकार या भारत सरकार द्वारा संपादित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए राज्य व संबंधित जिले में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा।

(ख) सरकार समय–समय पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है, जो बी.एड./बी.एड (विशेष शिक्षा)/डी.एड. (विशेष शिक्षा) के साथ स्नातक हैं और जिन्होंने सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो। नियुक्ति के बाद इन अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा और साथ ही साथ नियम 9 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा और राज्य व संबंधित जिले में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी करेगा जिन्होंने स्नातक के साथ–साथ बी.एड./बी.एड (विशेष शिक्षा)/डी.एड. (विशेष शिक्षा) किया हो और जिन्होंने सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

(ग) प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रारम्भिक शिक्षा में छः माह के विशेष प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त नियमित वेतनमान में जूनियर बेसिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के मौलिक पद पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशिक्षु शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रमाण पत्र जारी होने के एक माह के भीतर सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा और ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जो विहित शैक्षणिक योग्यता रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र हों।

(3) (क) नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार व्यवस्थित किये जायेंगे कि अभ्यर्थी परिशिष्ट–। में निर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं और भारांक के अनुसार व्यवस्थित हों:

परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।

(ख) नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसार उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार व्यवस्थित किये जायेंगे कि अभ्यर्थी परिशिष्ट– ।। में निर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं के अनुसार व्यवस्थित हों:

परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।

(ग) नियम 14 के खण्ड (ग) उपनियम (1) के अनुसार सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु तैयार सूची में अभ्यर्थियों के नाम वही होंगे जो नियम 14 के खण्ड (ख) उपनियम (3) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में होंगे जब तक कि उक्त सूची का अभ्यर्थी अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ न हो जाए। यदि अभ्यर्थी अपने द्वितीय एवं अन्तिम प्रयास में छः माह के विशेष प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो अभ्यर्थी का नाम उन सभी अभ्यर्थियों के नाम

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

के नीचे रखा जायेगा जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में उक्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण पूरा किया हो।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित न हो।

(5) उपनियम (2) के अधीन तैयार एवं नियम 14 के उपनियम (3) के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यवस्थित सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रेषित की जायेगी।

12. नियम 14(3)(क) में संदर्भित परिशिष्ट-I और नियम 14(3)(ख) में संदर्भित परिशिष्ट-II 20 वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित निम्नवत हैः –

"परिशिष्ट-I"

[नियम 14(3)(क) देखें]

अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक और भारांक

परीक्षा / डिग्री का नाम		गुणवत्ता अंक
1	हाई स्कूल	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
2	उच्चतर माध्यमिक	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
3	स्नातक डिग्री	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
4	बीटीसी प्रशिक्षण	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
5.	सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 60/100
6	बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षामित्र या शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए शिक्षण अनुभव का भारांक।	2.5 अंक प्रति पूर्ण शिक्षण वर्ष, अधिकतम 25 अंक, जो भी कम हो

नोट 1 – यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान गुणवत्ता अंक हैं तब आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

2. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हैं, तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। "

"परिशिष्ट–II

[नियम 14(3)(बी) देखें]

अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक

परीक्षा का नाम/डिग्री		गुणवत्ता अंक
1	हाई स्कूल	अंकों का प्रतिशत/10
2	इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2/10
3	स्नातक डिग्री	अंकों का प्रतिशत x 4/10
4	शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.एड. (विशेष शिक्षा)	अंकों का प्रतिशत x 3/10

नोट –यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान गुणवत्ता अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान गुणवत्ता अंक और आयु हैं तबअभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा।"

13. इस प्रकार, नियमों में 20वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नियम 2 (झ) के अनुसार, एटीआरई को शुरू किया गया जिसे इस न्यायालय ने एटीआरई–2018 आयोजित करने के आधार के रूप में पाया। आगे, संशोधित नियमों के अनुसार, इसे अर्हक प्रकृति का माना गया और इसके अंकों को चयन के प्रयोजनों के लिए तैयार की गई अंतिम योग्यता सूची में शामिल किया जाना था। इस प्रकार, चयन के लिए एक दो स्तरीय प्रणाली शुरू की गई जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों को एटीआरई पास करना था और केवल उन्हीं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्ह माना गया जिन्होंने उक्त एटीआरई परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उक्त एटीआरई में प्राप्त अंक को अंतिम मेरिट सूची (एटीआरई स्कोर का 60%) तैयार करने के लिए उचित भारांक दिया गया, जिससे अंततः राज्य द्वारा अंतिम चयन किया गया।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

14. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि नियमावली में यह अनिवार्य था कि बेसिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, (i) शिक्षक पात्रता परीक्षा (एतस्मिनपश्चात "टीईटी" के रूप में संदर्भित)उत्तीर्ण होना और (ii) बेसिक एजुकेशन बोर्ड, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत चयन के लिए आयोजित एटीआरई परीक्षा उत्तीर्ण करना थीं, फिर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना केवल अर्हकारी प्रकृति का था क्योंकि उस समय उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। जबकि एटीआरई न केवल अर्हकारी थी बल्कि उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में शामिल किया गया था।

15. दिनांक 15.03.2018 को 22 वें संशोधन द्वारा, 1981 की नियमावली को संशोधित किया गया जिससे नियम 8 में विहित एटीआरई उत्तीर्ण करने की आवश्यक योग्यता को हटा दिया गया। हालांकि, सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया से संबंधित नियम 14 में आवश्यकता को बरकरार रखा गया था। "जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका" के लिए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित नियम 8 (1) का प्रासंगिक भाग 22 वें संशोधन के बाद निम्नानुसार था :–

> "ii. (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी डिग्री के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ बेसिक शिक्षक प्रमाणपत्र(बीटीसी) से युक्त प्रशिक्षण योग्यता ,दो वर्षीय बीटीसी (उर्दू), विशिष्ट बीटीसी, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा में चार वर्षीय डिग्री (B.El.Ed.), प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस नाम से प्रख्यात हो) या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़ी जाने वाली कोई भी प्रशिक्षण योग्यता।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

और

"सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।"

इस प्रकार, जहां तक एटीआरई का संबंध है, 22 वें संशोधन के साथ एक आवश्यक योग्यता के रूप में इसे समाप्त कर दिया गया था, हालांकि यह चयन प्रक्रिया से संबंधित नियम 14 का एक हिस्सा बना रहा।

16. 24.01.2019 को 1981 नियमावली में 23 वां संशोधन प्रकाशित किया गया। इस संशोधन द्वारा, नियम 8 (ii) में अनिवार्य योग्यताओं को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया: –

"(ii) (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिग्री के साथ–साथ सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी), दो वर्षीय बीटीसी (उर्दू) विशिष्ट बीटीसी से युक्त प्रशिक्षण योग्यता के समकक्ष। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षा(विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा या प्राथमिक शिक्षा में चार वर्षीय डिग्री (B.El.Ed.), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया), विनियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.), बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर अनिवार्य रुप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा का छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा अथवा प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़ी जाने वाली किसी प्रशिक्षण योग्यता को पूर्ण करना होगा।

और

"सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।"

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

इस प्रकार, परिणामस्वरूप, 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री रखने वाले स्नातक संशोधन में निर्धारित रीति से जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका के पदों के लिए अर्ह हुए। ऐसे अभ्यर्थियों की अर्हता से संबंधित 1981 की नियमावली में संबंधित प्रावधानों को 01.01.2018 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था।

17. 07.03.2019 को, 1981 की नियमावली में 24 वां संशोधन प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा उपखंड (क) के बाद उपखंड (कक) जोड़कर नियम 8 (ii) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया:–

> "(कक) कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.), बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए जोड़े जाने वाले किसी अन्य प्रशिक्षण योग्यता कार्यक्रम को पूरा करना होगा और सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। "
>
> इस संशोधन ने नियम 8 (ii) के उप खंड (कक) को 28.06.2018 से भूतलक्षी प्रभाव दिया।

18. 14.06.2019 को 1981 की नियमावली में 25 वां संशोधन प्रकाशित किया गया। इस संशोधन द्वारा, परिशिष्ट I जो नियम 14 (3) (क) में संदर्भित था, को निम्नानुसार संशोधित किया गया:

"परिशिष्ट–।

अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक और भारांक

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

	परीक्षा का नाम/डिग्री	गुणवत्ता अंक
1	हाई स्कूल	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
3	स्नातक डिग्री	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
4	नियम की प्रशिक्षण योग्यता	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x10/100
5.	सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 60/100
6	बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षामित्र या शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए शिक्षण अनुभव का भारांक।	2.5 अंक प्रति पूर्ण शिक्षण वर्ष, अधिकतम 25 अंक, जो भी कम हो

नोट 1– यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान गुणवत्ता अंक हैं, तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

2. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हैं, तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। "

19. परिशिष्ट II, जो नियम 14(3)(ख) में संदर्भित है, को उसी संशोधन द्वारा लोप किया गया था। परिणामस्वरूप, परिशिष्ट I जैसा कि उक्त संशोधन के बाद अब है, नियम 14 में निर्दिष्ट दोनों स्रोतों के लिए एकमात्र और एक जैसा/एकल परिशिष्ट है।

C. <u>आरक्षण विधि, नियमावली और संशोधन</u>

20. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का संबंध है, प्राथमिक अधिनियम है। 2002 और 2007 में उक्त अधिनियम में संशोधन किए गए थे और अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (6) वर्तमान में इस प्रकार है:

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण.–(1) लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के स्तर पर उप–धारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार भर्ती हेतु रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना है।

(ए)	अनुसूचित जाति के मामले में	इक्कीस प्रतिशत;
(बी)	अनुसूचित जनजाति के मामले में	दो प्रतिशत;
(सी)	अन्य पिछड़ा वर्ग नागरिकों की श्रेणियों के मामले में	सत्ताईस प्रतिशत

बशर्ते कि खंड (सी) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के उन प्रवर्ग पर आरक्षण नहीं लागू होगा जो कि अनुसूची II में निर्दिष्ट हैं:

परन्तु यह और कि सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही जिस सेवा में भर्ती की जानी है उसकी संवर्ग संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(2) XXXX

(3) XXXX

(5) XXXX

(6) यदि उपखण्ड (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में चयनित हो जाता है तो उसे उपखण्ड (1) के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) XXXX

21. सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न निर्देश और परिपत्र जारी किए गए हैं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी निर्देश दिनांकित 25.3.1994, उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े समूहों के लिए आरक्षण के संदर्भ में प्रासंगिक है, जिसका एक अंश निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

"4. यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ–साथ आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में किया जाता है तो उसे आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित वर्ग के सापेक्ष समायोजित समझा जायेगा। यह महत्वहीन होगा कि उसने आरक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी भी सुविधा या छूट (जैसे आयु सीमा में छूट) का लाभ उठाया है। "

22. जहां तक सहायक अध्यापकों के आरक्षण का संबंध है उक्त उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली का नियम 9 इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश अधिनियम एवं भर्ती के समय लागू शासनादेश अर्थात उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के साथ–साथ राज्य द्वारा जारी विभिन्न निर्देश और आदेश के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान करता है।

D. <u>सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 (एआरटीई 2019)</u>

23. राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांकित 01.12.2018 द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों को भरने के लिए द्वितीय एटीआरई (संक्षेप में "एटीआरई–2019",) अधिसूचित किया। शासनादेश के परिशिष्ट के पैराग्राफ 1, 4.1 और 4.2 इस प्रकार थे:

"बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं के विकास में प्रमुख भूमिका होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त सीटों को भरने के लिए एक राज्य स्तरीय सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

केवल वे अभ्यर्थी जो स्नातक हैं, प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

... ...

4. आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता, आयु और निवासस्थान:

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा (22 वां संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम 8 में वर्णित शैक्षणिक, प्रशिक्षण उत्तीर्ण, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में आवेदन करने के पात्र होंगे।

(2) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के संबंध में दिनांक 23.08.2010, 29.07.2011, 12.11.2014 एवं 28.11.2014 (प्रस्तावना 1.2 के परिशिष्ट 2 में वर्णित) एवं दिनांक 28.06.2018 को अधिसूचित अधिसूचनाओं द्वारा न्यूनतम योग्यताधारक अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में आवेदन करने के पात्र हैं।"

24. इसके अलावा, राज्य द्वारा दिनांक 29.12.2018 को एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें अधिसूचित किया गया कि एटीआरई–2019 का आयोजन 06.01.2019 को किया जाएगा।

25. एटीआरई–2019 का आयोजन 06.01.2019 को किया गया था जिसमें कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्दिष्ट नहीं थे। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि अगले ही दिन यानी 07.01.2019 को सरकार ने एटीआरई–2019 के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नलिखित प्रभाव से तय किए:

(क) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, कुल 150 में से 97 अंक अर्थात 65% और उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा

(ख) अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 में से 90 अंक अर्थात् 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए उत्तीर्ण माना जायेगा।

26. यह कि राज्य सरकार ने उक्त पत्र दिनांकित 07.01.2019 द्वारा न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करते समय यह भी उल्लेख किया है कि उक्त अर्हक अंकों के

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

आधार पर योग्य अभ्यर्थी विज्ञापित 69000 रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और केवल उपरोक्त न्यूनतम अर्हता अंक के आधार पर अर्हता प्राप्त करने के कारण भर्ती के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा क्योंकि यह परीक्षा भर्ती के लिए योग्यता मानकों में से केवल एक है। इसके अलावा, निर्धारित पदों (69000) से अधिक अभ्यर्थियों के अर्हता प्राप्त करने की स्थिति में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली, 1981 के बीसवें संशोधन के परिशिष्ट– । के अनुसार विज्ञापित पदों के लिए अंतिम मेरिट सूची के आधार पर पात्र का चयन किया जाएगा। इस प्रकार शेष अभ्यर्थी स्वत: ही चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे तथा उनका 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' पर कोई दावा नहीं रहेगा।

27. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शासनादेश दिनांकित 07.01.2019 के आधार पर न्यूनतम अर्हक अंकों के उक्त निर्धारण को कुछ शिक्षा मित्रों द्वारा इस उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें इस न्यायालय की एकल पीठ ने उक्त शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था लेकिन उक्त आदेश को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपास्त कर दिया। उक्त विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और इस विवाद का अंत विशेष अनुमति याचिका/रिट याचिका समूह में दिये गये निर्णय के साथ हो गया जिसकी प्रधान याचिका "राम शरण मौर्य एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य।" (2020) एससीसी ऑनलाइन 939 थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्र के अधिकारों और सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम आनंद कुमार यादव एवं अन्य (2018) 13 एससीसी 560 द्वारा उन्हें प्रदत्त लाभों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ के अभिमत की अभिपुष्टि की और निष्कर्ष दिया कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 65–60% की कट ऑफ निर्धारित करना प्रभावित करने वाला नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सरकार द्वारा परीक्षा समाप्त होने के बाद भी ऐसे कट ऑफ का निर्धारण करना उसके अधिकार क्षेत्र में था और इस तरह शिक्षा मित्र और अन्य द्वारा दायर अपीलों के समूह को खारिज कर दिया।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

28. इस बीच, एटीआरई–2019 का परिणाम परीक्षा निकाय द्वारा दिनांक 12.05.2020 को घोषित किया गया, जिसमें लगभग 4,31,466 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 1,46,060 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

29. उक्त परिणाम घोषित होने के पश्चात राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 13.05.2020 द्वारा संबंधित नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार सहायक शिक्षक के 69000 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की।

30. यह कि, शासनादेश दिनांक 13.05.2020 के आलोक में, बेसिक शिक्षा बोर्ड, उ.प्र., इलाहाबाद ने दिनांक 16.05.2020 के विज्ञापन द्वारा एटीआरई–2019 के परिणाम के आधार पर 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन हेतु जिले की वरीयता दर्ज कराने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया।

31. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बेसिक शिक्षा बोर्ड, उ.प्र., इलाहाबाद ने 18.05.2020 को दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके पैरा 1 (iii) में विहित किया गया था कि उ.प्र. राज्य में आरक्षण से संबंधित कानून के साथ इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न शासनादेश उक्त चयन सूची पर लागू होंगे।

32. बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद ने 01.06.2020 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की और इसे नियमावली के परिशिष्ट–I के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंको के आधार पर प्रतिवादीगण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया था जिसमें अंतिम जिले भी चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दर्ज की गई वरीयता के अनुसार आवंटित किए गए थे।

33. दिनांक 01.06.2020 की उक्त अंतिम चयन सूची विवादों से घिरी हुई थी और उक्त सूची को विवादित करते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ–साथ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दोषपूर्ण क्रियान्वयन एवं उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) के अननुपालन तथा एमआरसी अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी में समायोजन से संबंधित सामान्य आधार पर विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं।

34. पूर्वोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कुल 69000 पदों में से चयनित अभ्यर्थियों की दो उप चयन सूची दिनांक 11.10.2020 को 31,277 अभ्यर्थियों की प्रथम एवं दिनांक 30.11.2020 को 36,590 अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी की गई। जिसमें अनुसूचित जनजाति के 1133 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गये थे। इसके अलावा, कुल चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी कार्यभार नहीं ग्रहण कर सके अतएव 6696 अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए उप चयन सूची दिनांकित 26.06.2021 के रूप में तीसरी सूची जारी की गई।

35. उल्लेखनीय रूप से, उ.प्र. बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज के सचिव ने रिट याचिका संख्या 1389 (एस/एस) वर्ष 2021 (जवाहर लाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में एक शपथ पत्र दिनांक 11.07.2021 को दिया है जिसमें कहा गया है कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उस समय कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।

36. इसके अलावा, दो रिट याचिकाएं संख्या 52/2021 (विनोद कुमार सिंह बनाम उ.प्र. राज्य) और संख्या 760/2021 (शिवम पांडे एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य) भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन अभ्यर्थियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं जिन्होंने एटीआरई–2019 में प्रतिभाग किया था, एवं अनुरोध किया गया कि एटीआरई–2018 की शेष रिक्तियों को वर्तमान चयन प्रक्रिया में जोड़ दिया जाए, हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करते हुए क्रमशः दिनांक 01.02.2021 और 29.06.2021 के आदेश द्वारा उनकी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

37. यद्यपि, जहां तक एटीआरई–2019 का संबंध था, कोई भी सीट खाली नहीं बची थी और इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली भर्ती प्रक्रिया (यानी एटीआरई–2018 में रिक्त बचीं सीटें) की शेष रिक्तियों को वर्तमान एटीआरई–2019 में जोड़ने पर विचार करने से इनकार कर दिया है; राज्य सरकार ने एक प्रेस बैठक आयोजित की और एटीआरई– 2019 की भर्ती प्रक्रिया में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए एटीआरई–2018 की शेष रिक्तियों पर भर्ती की घोषणा की। इस प्रकार राज्य ने 69000 की सूची में गलती को सुधारे बिना आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चौथी चयन सूची जारी कर दिया। इस प्रकार, विवाद का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसमें लगभग 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करते हुए उक्त चौथी चयन सूची दिनांक 05.01.2022 को जारी की गई। जाहिर है, इस चयन सूची को खुली श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ–साथ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें खुली श्रेणी के अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि चयन सूची केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही जारी नहीं की जा सकती और किसी भी स्थिति में यह एटीआरई–2019 के लिए विज्ञापित सीटों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती थी क्योंकि इससे उनके भविष्य की संभावना भी प्रभावित होती थी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि चयन सूची सही नहीं थी क्योंकि लगभग 18988 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी थे, जो समान संख्या में अनारक्षित अभ्यर्थियों को हटाये जाने पर नियुक्त किये जाने के पात्र थे एवं समान संख्या में अनारक्षित अभ्यर्थियों को हटाये बिना आरक्षित श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करना ही आरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन था तथा यह सरकार द्वारा आरक्षण नीति को लागू करने में कारित त्रुटि की स्वीकारोक्ति दर्शाता है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि, 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को समायोजित करने के बाद भी, कम से कम 13000 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों अभी भी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं क्योंकि उनके अनुसार पिछली चयन प्रक्रिया अर्थात एटीआरई–2018 की रिक्त बची हुई सीटों की कुल संख्या 27,737 थी। अतएव अभी भी सहायक शिक्षक के पद के लिए रिक्त सीटें उपलब्ध हैं।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

38. फिर भी, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा कुछ याचिकाएँ दायर की गईं, जिन्हें दिनांक 05.01.2022 की 6800 की चयन सूची में स्थान मिला, जिसमें उक्त सूची के लागू किए जाने की मांग की गई

E. <u>रिट याचिकाओं की श्रेणियां</u>

39. व्यापक रूप से, मामलों के समूह को, जिस पर सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई, पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) पहली वह श्रेणी है जिसमें 69000 शिक्षकों की चयन सूची को "आरक्षित वर्ग" से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो "मेधावी आरक्षित श्रेणी" (एमआरसी) से संबंधित हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना था लेकिन उन्हें आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (1) और धारा 3 (6) के उल्लंघन में आरक्षित श्रेणी से संबंधित माना गया है। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई है कि चयन सूची दिनांक 01.06.2020 को इस सीमा तक रद्द करें, क्योंकि यह एमआरसी का चयन आरक्षित श्रेणी में होने से संबंधित है, न कि खुली श्रेणी में। निम्नलिखित रिट याचिकाएं को इस श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएंगी:

1	रिट–ए/13156/2020	महेंद्र पाल व अन्य
2	रिट–ए/9050/2020	लोहा सिंह पटेल व अन्य
3	रिट–ए/9767/2020	भास्कर सिंह व अन्य
4	रिट–ए/10122/2020	विजय प्रताप यादव व अन्य
5	रिट–ए/10461/2020	सुशील कुमार व अन्य
6	रिट–ए/11638/2020	भूपेंद्र कुमार व अन्य
7	रिट–ए/11876/2020	रविशंकर व अन्य
8	रिट–ए/12793/2020	अनामिका वर्मा व अन्य
9	रिट–ए/18194/2020	नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य
10	रिट–ए/19535/2020	प्रदीप कुमार मौर्य व अन्य
11	रिट–ए/19554/2020	निशा अहमद अंसारी व अन्य
12	रिट–ए/21706/2020	धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा व अन्य
13	रिट–ए/3012/2021	अनुराग यादव व अन्य
14	रिट–ए/4568/2021	तस्लीम बानो व अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

15	रिट–ए/5323/2021	एवरेस्ट कुमार व अन्य
16	रिट–ए/5863/2021	सुरेंद्र कुमार यादव व अन्य
17	रिट–ए/6527/2021	कुलदीप कुमार वर्मा व अन्य
18	रिट–ए/7678/2021	कृष्ण कुमार व अन्य
19	रिट–ए/8090/2021	आनंद कुमार विश्वकर्मा व अन्य
20	रिट–ए/8414/2021	मुलायम सिंह व अन्य
21	रिट–ए/9501/2021	सावित्री पटेल व अन्य
22	रिट–ए/12510/2021	कुलदीप कुमार व अन्य
23	रिट–ए/12552/2021	आशुतोष वर्मा और अन्य
24	रिट–ए/12819/2021	सुनील कुमार गुप्ता व अन्य
25	रिट–ए/13587/2021	रेखा सिंह
26	रिट–ए/14913/2021	रणजीत यादव व अन्य
27	रिट–ए/15040/2021	जस वीर व अन्य
28	रिट–ए/16083/2021	देवेंद्र प्रताप और अन्य
29	रिट–ए/16538/2021	मो. मुईन व अन्य
30	रिट–ए/17441/2021	ललित कुमार व अन्य
31	रिट–ए/17919/2021	रवींद्र प्रताप यादव व अन्य
32	रिट–ए/18167/2021	अनिल कुशवाहा व अन्य
33	रिट–ए/18496/2021	रीना यादव व अन्य
34	रिट–ए/18529/2021	नूरुलहक व अन्य
35	रिट–ए/18709/2021	इंद्रजीत यादव
36	रिट–ए/19050/2021	नूरुद्दीन अहमद व अन्य
37	रिट–ए/19564/2021	अनिल कुमार व अन्य।
38	रिट–ए/19601/2021	अरविन्द कुमार यादव
39	रिट–ए/20205/2021	प्रवेश कुमार व अन्य
40	रिट–ए/22652/2021	अभिषेक कुमार व अन्य
41	रिट–ए/22711/2021	सतेंद्र कुमार कुशवाहा
42	रिट–ए/22808/2021	मोहम्मद आलम अंसारी
43	रिट–ए/23751/2021	अनिकेत चंद व अन्य
44	रिट–ए/224401/2021	कनिका यादव
45	रिट–ए/26382/2021	आशीष कुमार व अन्य
46	रिट–ए/26805/2021	शिव प्रसाद यादव व अन्य
47	रिट–ए/26944/2021	स्नेह लता व अन्य
48	रिट–ए/27478/2021	राकेश कुमार यादव व अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

49	रिट–ए/28828/2021	आंचल वर्मा व अन्य
50	रिट–ए/29292/2021	आलम हुसैन व अन्य
51	रिट–ए/29600/2021	हरीश बाबू व अन्य
52	रिट–ए/29632/2021	कुमारी गायत्री व अन्य
53	रिट–ए/29687/2021	कृष्ण कुमार व अन्य
54	रिट–ए/29834/2021	राज कुमार यादव व अन्य
55	रिट–ए/29976/2021	सतीश कुमार व अन्य
56	रिट–ए/29992/2021	घनश्याम यादव व अन्य
57	रिट–ए/30657/2021	राजेंद्र प्रसाद व अन्य
58	रिट–ए/138/2022	रमेश कुमार और 86 अन्य
59	रिट–ए/258/2022	रण विजय
60	रिट–ए/355/2022	अमित कुमार और अन्य
61	रिट–ए/391/2022	अरुण प्रताप सिंह और 17 अन्य
62	रिट–ए/435/2022	रीता
63	रिट–ए/472/2022	जितेंद्र कुमार और 116 अन्य
64	रिट–ए/688/2022	महेंद्र प्रसाद मरुआ और 6 अन्य
65	रिट–ए/719/2022	कमलेश सिंह व 5 अन्य
66	रिट–ए/919/2022	पूजा वर्मा व अन्य
67	रिट–ए/1549/2022	राकेश पटेल व अन्य
68	रिट–ए/1556/2022	संदीप कुमार और 261 अन्य
69	रिट–ए/3608/2022	रविन्द्र कुमार
70	रिट–ए/3651/2022	अनिल कुमार गौतम व अन्य
71	रिट–ए/4230/2022	सुनील कुमार और 10 अन्य
72	रिट–ए/4653/2022	विवेक कुमार सिंह व अन्य
73	रिट–ए/5816/2022	कामिशनार यादव
74	रिट–ए/5965/2022	अंकित कुमार मौर्य व अन्य
75	रिट–ए/6398/2022	ऋचा यादव
76	रिट–ए/6562/2022	विमलेंद्र कुमार सुमन व 2 अन्य
77	रिट–ए/6969/2022	अर्चना यादव व अन्य
78	रिट–ए/7003/2022	शिप्रा कुमारी
79	रिट–ए/7078/2022	प्रियंका चौधरी और 47 अन्य
80	रिट–ए/7204/2022	दिग्विय सिंह और 15 अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

81	रिट–ए/7234/2022	सुनील कुमार सिंह
82	रिट–ए/7258/2022	राजेश यादव व 2 अन्य
83	रिट–ए/7307/2022	हिमांशु यादव व अन्य
84	रिट–ए/11261/2020	राजेश कुमार व अन्य
85	रिट–ए/7460/2022	आकांक्षा पाल
86	रिट–ए/7652/2022	श्रीमती कंचन पुष्पकर और 3 अन्य
87	रिट–ए/7681/2022	वीरेंद्र सिंह निरंजन और ओआरएस
88	रिट–ए/7908/2022	मनोज कुमार व अन्य
89	रिट–ए/7930/2022	सुनील कुमार जायसवाल
90	रिट–ए/8177/2022	अनिरुद्ध कुमार
91	रिट–ए/8224/2022	रुद्र देव वर्मा

(ख) रिट याचिकाओं की दूसरी श्रेणी में वे याचिकाएँ शामिल हैं जो "सामान्य श्रेणी" के अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें एटीआरई–2019 और टीईटी दोनों के चयन में आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है,उन्हें आरक्षित सूची से अनारक्षित सूची में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अतएव चयन सूची दिनांक 01.06.2020 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिससे ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके अपने आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरण की अनुमति मिली है। आगे दिनांक 05.01.2022 के उस शासनादेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा राज्य ने 05.12.2018 और 16.05.2020 को विज्ञापित सहायक शिक्षकों की 69000 रिक्तियों के सापेक्ष केवल 6800 "आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों" की नियुक्ति की ही अनुमति प्रदान की है। निम्नलिखित रिट याचिकाओं को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा:

1	रिट–ए/8142/2020	रोविन सिंह व अन्य
2	रिट–ए/9683/2020	श्वेता चौहान व अन्य
3	रिट–ए/22188/2020	शशांक तिवारी और 19 अन्य
4	रिट–ए/973/2022	मोहिनी तिवारी और 29 अन्य
5	रिट–ए/978/2022	राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा और 49 अन्य

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

6	रिट–ए/1126/2022	करुणा शंकर शुक्ला व अन्य
7	रिट–ए/1144/2022	शिवम पांडे और 34 अन्य
8	रिट–ए/1162/2022	विनय कुमार पाण्डेय और 34 अन्य
9	रिट–ए/1561/2022	आशीष बाजपेयी और 3 अन्य
10	रिट–ए/1566/2022	नितेश कुमार सिंह और 174 अन्य
11	रिट–ए/1592/2022	अर्पित कुमार वाजपेयी व अन्य
12	रिट–ए/1594/2022	आलोक सिंह व अन्य
13	रिट–ए/1596/2022	कुंवर धर्मेंद्र नाथ व अन्य
14	रिट–ए/1598/2022	आदर्श श्रीवास्तव व अन्य
15	रिट–ए/1599/2022	आशुतोष बरुआ व अन्य
16	रिट–ए/1600/2022	अनीता सिंह व अन्य
17	रिट–ए/1602/2022	शिव प्रकाश मिश्रा व अन्य
18	रिट–ए/1604/2022	राम शंकर व अन्य
19	रिट–ए/1694/2022	अंजू त्रिपाठी और 19 अन्य
20	रिट–ए/2324/2022	आशीष बरनवाल और 26 अन्य
21	रिट–ए/3005/2022	ज्योति सिंह और 50 अन्य
22	रिट–ए/3660/2022	विष्णु
23	रिट–ए/7995/2022	अजय कुमार मिश्रा और 49 अन्य

(ग) रिट याचिकाओं की तीसरी श्रेणी में ऐसी याचिकाएं शामिल हैं जिनमें 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है जिसमें यह भी शामिल है कि 69000 की विज्ञापित सीटों के अतिरिक्त अधिसंख्य 6800 पदों को भरकर उनकी एटीआरई परीक्षा में भाग लेने की भविष्य की संभावना को कम किया जा रहा था। ये याचिकाकर्ता या तो एटीआरई–2019 में असफल रहे थे या एटीआरई–2019 परीक्षा के आयोजन के बाद अर्ह हो गए थे। निम्नलिखित रिट याचिकाओं को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा:

1	रिट–ए–323/2022	भारती पटेल और 5 अन्य
2	रिट–ए–1713/2022	अनिल कुशवाहा और 8 अन्य

(घ) रिट याचिका की चौथी श्रेणी में वे याचिकाएं शामिल हैं, जहां योग्यता सूची तैयार करते समय शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

4% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकांश रिट याचिकाएं निष्फल होने के आधार पर वापस ले ली गई हैं। इस रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे पर न तो सुनवाई के दौरान बहस की गई और न ही सुनवाई के दौरान इन रिट याचिकाओं पर बल दिया गया। हालाँकि, इन रिट याचिकाओं का उल्लेख यहाँ श्रृंखला को पूरा करने के लिए किया गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका भी निस्तारण किया जा रहा है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित रिट याचिकाओं को रखा गया है:

1	रिट–ए–13792	राम किशोर व अन्य
2	रिट–ए–15460/2020	संदीप कुमार पाण्डेय व अन्य
3	रिट–ए–26041/2020	शिव सिंह रघुवंशी
4	रिट–ए–9035/2020	लक्ष्मी नारायण सिंह व अन्य
5	रिट–ए–9616/2020	किमी. अनीता गुप्ता और 2 अन्य
6	रिट–ए/10327/2020	प्रेम कुमार व अन्य
7	रिट–ए–9782/2021	रंजना त्रिपाठी

(ङ) पाँचवीं श्रेणी की रिट याचिकाएँ वे याचिकाएँ हैं, जो दिनांक 05.01.2022 की चयन सूची के अनुसार 6800 अभ्यर्थियों में से एक भाग बनने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि यद्यपि उनके नाम चयनित सूची में उल्लिखित हैं लेकिन उन्हें लंबित मुकदमेबाजी के क्रम में नहीं नियुक्त किया गया है, जो उनकी सेवा की संभावना और लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। निम्नलिखित रिट याचिकाओं को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा:

1	रिट–ए–7576/2022	कृष चंद्रा व अन्य

F. <u>अन्तरिम आदेश</u>

40. इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिसमें 6800 की चयन सूची दिनांक 05.01.2022 पर स्थगन (Stay) भी शामिल है। इस न्यायालय ने 25.08.2020 को रिट–ए–

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

13156/2020 (महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य), में अर्थात प्रथम श्रेणी के प्रमुख मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

> "....इन परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में एक मुख्य प्रतिउत्तर शपथपत्र दायर किया जाएगा और इस मामले में प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करते समय, इसकी एक प्रति अन्य समान रिट याचिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को प्रस्तुत की जाएगी। अन्य मामलों में प्रतिवादियों की ओर से दायर किए जाने वाले अलग–अलग प्रतिशपथपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस मामले में दायर किए जाने वाले प्रतिउत्तर शपथपत्र को अन्य समान मामलों में भी प्रतिउत्तर शपथपत्र माना जाएगा।

41. इस प्रकार, यह निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त शीर्ष मामले में एक प्रतिउत्तर शपथपत्र दायर किया जाए, जिसे सभी मामलों में प्रतिवादी के प्रतिउत्तर के रूप में माना जाना था।

42. इसके अलावा, इस न्यायालय ने 17.03.2021 के आदेश में उपरि–उल्लिखित रिट याचिका में ही निम्नलिखित कथन किया है:

"...याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा का तर्क है कि 28,000/–आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, जिन्होंने 67.11 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए थे, जो सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ था, उन्हें सामान्य श्रेणी की चयन सूची में समायोजित नहीं किया गया था बल्कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत आरक्षित सूची में बनाए रखा गया था, जिसके अनुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अन्यथा मेधावी हैं और सामान्य चयन सूची में शामिल होने के हकदार हैं, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में नहीं माना जाएगा। श्री मिश्रा ने स्वयं द्वारा तैयार किए गए एक चार्ट को उद्धृत किया है जिसकी एक प्रति पूरक शपथ पत्र दिनांक 27.01.2021 के पृष्ठ 63 पर अनुलग्नक संख्या एसए–7 के रूप में संलग्न है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

03.02.2021 को इस कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा था जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

संबंधित शासकीय विरोधी पक्ष अपना जवाब एक सप्ताह की अवधि के भीतर से दाखिल करें

43. स्पष्टतया, राज्य के संबंधित प्राधिकारीगण समय–समय पर इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दर्ज किए गए प्रश्नों के स्पष्ट जवाब दाखिल करने से कतराते रहे और बहस के दौरान भी ये मुद्दे अस्पष्ट रहे। तथ्यतः, इस बयान के अलावा कि आरक्षण नीति को विपरीत दिशा में लागू किया गया है और अमुक संख्या में एमआरसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी और आरक्षित श्रेणी में समायोजित किया गया है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं था कि किस–किस को और किस तरह से आरक्षित श्रेणी के एमआरसी अभ्यर्थी माना गया, ताकि उन्हें खुली श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सके।

44. आगे, एक अंतरिम आदेश जो याचिकाओं के अन्य समूह की शीर्ष याचिका रिट–ए–नं 323/2022 में पारित किया गया है जो तीसरी श्रेणी की शीर्ष याचिका है, विशेष उल्लेखनीय है। इस न्यायालय ने 27.01.2022 के एक आदेश में कहा कि:

".....आज, श्री राघवेंद्र सिंह, विद्वान महाधिवक्ता ने आधिकारिक प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई और न्यायालय को सूचित किया कि कुछ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिनमें से कुछ रिट याचिकाएं रिट–ए संख्या 13156/2020 और रिट–ए संख्या 8142/2020 हैं, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसके आधार पर, राज्य ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के साथ–साथ आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और इस विषय पर उपलब्ध विधि पर फिर से विचार किया है जिसके अनुसार, ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो अन्यथा मेधावी हैं, अर्थात्, जिन्होंने सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे अनारक्षित पदों हेतु विचारार्थ लिये जाने और चयन के पात्र हैं। तदनुसार, राज्य सरकार ने इस मामले पर फिर से विचार करने के बाद एक नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया है जिसमें 6800 अभ्यर्थियों के नाम

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

शामिल हैं जो कि वे आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और चूंकि यह कवायद इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परिणाम है इसलिए न्यायालय को इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विद्वान महाधिवक्ता ने भी न्यायालय को यह भी सूचित किया कि, वास्तव में, चयन की पूरी प्रक्रिया राज्य के अधिकारियों द्वारा एनआईसी को सूचित की जाती है और वही चयन सूची तैयार करता है।

विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि जहां तक इस न्यायालय के दिनांक 25.01.2022 के आदेश में उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रश्न है इस मामले के तथ्यों में यह लागू नहीं होता है, जैसा कि ऊपर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

हालांकि, यह पूछे जाने पर कि यदि 69000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं, जैसा कि पूर्व के आदेश में इंगित किया गया है, तो इन 6800 चयनितों को नियुक्त कैसे किया जाएगा, किस पद पर नियुक्त किया जाएगा और क्या एक पद पर दो व्यक्ति काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान महाधिवक्ता इस मामले में न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके लेकिन कहा कि राज्य ने पहले से नियुक्त ऐसे अभ्यर्थियों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है, जिन्होंने इन 6800 अभ्यर्थियों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हों।

यह निश्चित रूप से किसी का कहना नहीं है न ही राज्य का है कि 6800 अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने से पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समान संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो पहले नियुक्त किए गए थे, विधि अनुसार सेवामुक्त कर दिए जाएं।

श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा, विरोधी पक्ष संख्या 7 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 144–145 पर संलग्न हैं, जिसे विद्वान महाधिवक्ता द्वारा संदर्भित किया गया है। उनका कहना है कि उन रिट याचिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए और उनका यह भी कहना है कि अतिरिक्त 6800 चयनित व्यक्ति वास्तव में नियुक्त होने के हकदार हैं और वे जो हकदार नहीं हैं लेकिन नियुक्त किए गए हैं, वे बाहर होने के लिए उत्तरदायी हैं। वह

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

भी इस तथ्य पर सहमत हैं कि विज्ञापित 69000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार चौधरी, जो विपक्षी संख्या 10 की ओर से उपस्थित हुए, ने श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा के तर्कों को स्वीकार किया। इसके अलावा, उनका कहना है कि शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं भी दायर की हैं जिसकी प्रमुख रिट याचिका रिट–ए सं. 13792/2020 है जिसमें इस न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा का लाभ देने के लिए कुछ आदेश पारित किए गए हैं इसलिए इन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 6800 व्यक्तियों की प्रश्नगत चयन सूची में शामिल करना न्यायालय के आदेशों के अनुसार है एवं न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से अंतरिम स्तर पर बिल्कुल नहीं। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या विरोधी पक्ष संख्या 10 जिसकी ओर से वह पेश हुए है वह शारीरिक रूप से विकलांग है, उन्होंने कहा कि नहीं, वह शारीरिक रूप से विकलांग नहीं था लेकिन वह रिट–ए सं. 13792/ 2020 और इससे जुड़े मामले में अधिवक्ता है। इसलिए उन्होंने उक्त बयान दिया है।

इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सेठ ने आगे कहा कि यदि सहायक अध्यापकों की 69000 रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था और उन सभी को भर दिया गया है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा स्वीकार किया गया है एवं जैसा कि पूर्व आदेश दिनांकित 25.01.2022 में पहले ही देखा जा चुका है, फिर, एक क्षण के लिए यह मानते हुए कि राज्य चयन प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का हकदार था और इस तरह की कवायद के आधार पर यह पाया गया कि 6800 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, चयन और नियुक्ति का बेहतर अधिकार था, अधिक से अधिक पहले से प्रकाशित चयन सूची को संशोधित किया जाना चाहिए था और इन 6800 अभ्यर्थियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करने वाले उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों को विधि अनुसार इनसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था और यदि उन्हें पहले से ही नियुक्त किया गया है तब यह उन्हें उचित नोटिस देने के बाद ही किया जाना चाहिए था, और इन 6800 अभ्यर्थियों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

लेकिन इस तरह के कार्य के बिना 6800 अतिरिक्त चयनित व्यक्तियों को शामिल करने की राज्य की प्रश्नगत कार्यवाही एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहां 69000 रिक्तियों के परे अधिसंख्य रिक्तियाँ भरी जाएंगी जो स्पष्ट रूप से अवैध है और याचिकाकर्ताओं के इस अधिकार को विपरीत रुप से प्रभावित करेंगी कि उन्हे उन 6800 रिक्तियों के सापेक्ष विचारार्थ लिया जाता जो अन्यथा फिर से विज्ञापित की जातीं और याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 के पास ऐसी रिक्तियों के सापेक्ष चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार होता वह भी इस तथ्य के बावजूद कि वे पहले के चयन में सफल नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता संख्या 6 ने वास्तव में एआरटीई 2019 के चयन में प्रतिभाग नहीं किया है और वह इस तरह की रिक्तियों के सापेक्ष विचार किए जाने का हकदार है जब भी वे विज्ञापित हों।

श्री चौधरी के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्नगत कार्रवाई को चुनौती देने का आधार नहीं है, याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, चयन में उपस्थित हुए थे और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ का तर्क जैसा कि पूर्व आदेश में पहले से ही दर्ज है कि 69000 से अधिसंख्य किसी भी रिक्ति को फिर से विज्ञापित करना होगा और इस संबंध में नए सिरे से चयन करना होगा जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5, भले ही वे पहले चयन में सफल नहीं हुए हों, फिर भी प्रतिभाग करने के अधिकरी होंगे इसलिए 69000 से अधिक के किसी भी पद के सापेक्ष चयन करना, इन अतिरिक्त 6800 पदों को पुनः विज्ञापित न करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के अलावा, याचिकाकर्ता संख्या–1 से 6 के ऐसे चयन में प्रतिभाग करने के अधिकारों का अतिक्रमण करना है। याचिकाकर्ता संख्या 6 ने प्रश्नगत चयन में प्रतिभाग नहीं किया है इसलिए उसे किसी भी स्थिति में इन अतिरिक्त रिक्तियों के सापेक्ष भविष्य के चयन में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सेठ सही प्रतीत होते हैं।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि पहले के आदेश दिनांकित 25.01.2022 में देखा जा चुका है, जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है और जिनका कम से कम इस स्तर पर संतोषजनक रूप से खंडन नहीं किया गया है, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने का

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

आदेश जिसमें यह मामला था कि 69000 से अधिक ऐसी रिक्तियां जो 01.12.2018 (एआरटीई–2019) को विज्ञापित नहीं की गई थीं उनको 01.12.2018 को विज्ञापित उक्त चयन के आधार पर भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे इस विशिष्ट टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया है कि विज्ञापित से अधिक पदों को उक्त चयन के आधार पर भरे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रश्नगत कार्रवाई करके प्रथम दृष्टया एक अजीब स्थिति पैदा कर दी गयी है... "

45. इस न्यायालय ने महाधिवक्ता द्वारा संदर्भित अन्य अंतरिम आदेशों को दर्ज करने के बाद आदेश दिनांक 27.01.2022 द्वारा निम्नलिखित शब्दों में निर्देशित किया:

> "... लेकिन न्यायालय ने राज्य से केवल इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था और राज्य को यह बताना था कि आरक्षण नीति को कैसे लागू किया गया है। इन परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों के लिए उपयुक्त तरीका यह था कि वे उक्त आदेशों का पालन करें, मामले पर फिर से विचार करें, तथ्यों और त्रुटियों का पता लगाएं, यदि कोई हो, और उन्हें ध्यान में रखते हुए, या तो उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए या अनुमति मांगने के लिए न्यायालय के समक्ष रखें याकि पहले से ही लागू की गई चयन सूची को सुधारना या चयन सूची को संशोधित करना और पहले से नियुक्त व्यक्तियों को कानून के अनुसार हटाना, यदि वे गलत तरीके से नियुक्त किए गए थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय राज्य के अधिकारीगण ने अपने कारणों से उनके द्वारा पहले से की गई 69000 नियुक्तियों के अधिसंख्य 6800 व्यक्तियों की चयन सूची जारी करने की जल्दबाजी की वह भी कम अंक प्राप्त किए हुए पहले से नियुक्त 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रद्द किए बिना। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि केवल 69000 अभ्यर्थियों के पद विज्ञापित हुए थे यथा 69000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है और वे पहले से ही नियुक्त हो चुके हैं। यह समझ से परे है कि इन 6800 व्यक्तियों की चयन सूची जारी करके, जो अन्यथा चयन के हकदार हो सकते थें, इन तथ्यों के परिदृश्य में राज्य सरकार किस उद्देश्य की पूर्ति करती है जबकि किसी भी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

परिस्थिति में, 69000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विज्ञापन किया गया था।

अब, यह राज्य को तय करना है कि इस मामले में उसे क्या करना है क्योंकि यह राज्य है जिसने यह स्थिति बनाई है लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसे पदों पर 69000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

यहां ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह उपबंध किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, 01.12.2018 (एटीआरई–2019) को विज्ञापित 69000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा और बिना विज्ञापित रिक्तियों को विज्ञापित किए बिना नहीं भरा जाएगा। तद्नुसार आदेश दिया जाता है।

विरोधी पक्ष संख्या 6 और 8 को दस्ती नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा, चयनकर्ताओं की बड़ी संख्या, जो कि 6800 है, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाने और उन्हें नोटिस प्राप्त कराये जाने में आने वाली जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस स्तर पर, जब वे केवल चयनित हैं और उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, न्याय हित में होगा कि दो दैनिक समाचार पत्रों एक अंग्रेजी और एक हिन्दी, जिसका राज्य में प्रसार हो, में एक प्रकाशन किया जाए, अंग्रेजी में : 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' और हिन्दी में 'दैनिक जागरण', में प्रकाशित कर चयनित व्यक्तियों को इस याचिका के लंबित होने के बारे में सूचित किया जाए ताकि वे, यदि वे ऐसा चाहें, तो इस विधिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें, अन्यथा , व्यक्तियों को प्रतिनिधिक क्षमता में शामिल किया गया है। वरिष्ठ निबंधक उपरोक्तानुसार समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए उठाए जा रहे पर्याप्त कदमों की सुविधा प्रदान करेंगे।

पक्षकारों के बीच अभिवचनों का आदान–प्रदान किया जाए।

इस मामले को अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करें यानी रिट ए.नंबर 13156/2020, रिट–ए नंबर 8142/2020 और रिट–ए 13792/2020 सहित इससे जुड़े मामलों के साथ जिसमें अभिकथन पूरा हो गया है."

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

46. आगे, इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 27.01.2022 का उपरोक्त अंतरिम आदेश विशेष अपील संख्या 86/2022 (राहुल कुमार व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य) में चुनौती का विषय था, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 15.03.2022 के आदेश द्वारा वर्तमान मामलों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश पर विचार करने से इंकार कर दिया।

47. न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा समाचार पत्र में पूर्वोक्त प्रकाशन के क्रम में याचिका की तीसरी श्रेणी में 1158 अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था।

G. पक्षकारों की दलील

48. चूंकि, वर्तमान रिट याचिका समूह में समान विषय उठाया गया है। अतः न्यायालय द्वारा पक्षकारों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता की सहमति से सभी रिट याचिकाओं को इस एकल आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। हालाँकि, मुख्य मामले *महेंद्र पाल एवं 13 अन्य* के तथ्यों का यहाँ स्पष्टता के लिए उल्लेख किया जा रहा है। उक्त रिट याचिका के तथ्य जैसा कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या7 और 9 को छोड़कर, अन्य सभी याचिकाकर्ता स्नातक डिग्री धारक हैं, जिनके पास बी.एड की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 7 और 9 बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बीटीसी) वाले शिक्षक हैं। सभी याचिकाकर्ता सरकार द्वारा आयोजित यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता संख्या 11, जो "अनुसूचित जाति" की आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, को छोड़कर सभी याचिकाकर्ता "अन्य पिछड़ा वर्ग" की आरक्षित श्रेणी के हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि उन्होंने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है और उनके अनुसार उनके पास यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के तहत निर्धारित सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

49. याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक की 69000 रिक्तियों को भरने के लिए 01.12.2018 को निर्णय लिया, जिसके अनुक्रम में एटीआरई–2019 को दिनांक 06.01.2019 को आयोजित करने के लिए 05.12.2018 को एक विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसके बाद, 07.01.2019 को, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने एटीआरई–2019 के अर्हक अंकों को खुली श्रेणी के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% निर्धारित करने के लिए एक शासनादेश जारी किया। अर्हक अंकों के निर्धारण करने वाले इस शासनादेश को इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई जिसने उक्त शासनादेश को रद्द कर दिया और एआरटीई–2018 के योग्यता अंकों की शर्तो के अनुसार एआरटीई–2019 का संचालन करने का निर्देश दिया, हालांकि एक इंट्रा कोर्ट अपील में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने – एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 07.01.2019 के शासनादेश को बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए कई एसएलपी दायर की गईं, जिनमें से एक एसएलपी "राम शरण मौर्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य" {एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 11198/2020} में सुप्रीम कोर्ट ने 21.05.2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि "शिक्षा मित्र" जो वर्तमान में सहायक शिक्षक के रूप में अपने पदों पर हैं उनको अव्यवधानित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक अन्य सम्बद्ध मामले "सूबेदार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (एसएलपी (सिविल) संख्या 6687 ऑफ 2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 09.06.2020 को एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों की संख्या के बराबर 37,339 पद रिक्त रखें और शेष रिक्तियों को भरना जारी रखें।

50. यह तर्क दिया गया है कि एटीआर–2019 के परिणाम 12.05.2020 को घोषित किए गए थे, जिसमें कुल 1,46,060 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

गया था। याचिकाकर्ताओं का कथन है कि उन्होंने एटीआर–2019 में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए अतः 16.05.2020 को सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा अधिसूचित जिलावार रिक्तियों एवं सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 18.05.2020 को आवेदन प्रपत्र आमंत्रित करने के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ताओं ने विहित प्रारुप पर आनलाइन आवेदन भरा/आवेदन किया एवं इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने वैध रूप से चयनित होने की प्रत्याशा रखी। याचिकाकर्ताओं द्वारा एटीआरई–2019 में गलत मूल्यांकन से संबंधित विवाद का संदर्भ दिया गया है जिसमें प्रत्यर्थी–प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2020 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को कुछ चुनौती दी गईं थीं। यह निवेदन किया गया है कि मुख्य रिट याचिका संख्या 8056 सन् 2020 (रिषभ मिश्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के मामले में, एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 03.06.2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें उत्तर कुंजी दिनांक 08.05.2020 पर स्थगन आदेश दिया गया था हालांकि इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 12.06.2020 को विशेष अपील संख्या 154/2020 (परीक्षा नियामक प्राधिकरण, इलाहाबाद और अन्य बनाम रिषभ मिश्रा और अन्य) के मामले में एक आदेश पारित कर एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश स्थगित करते हुए प्रत्यर्थियों को सहायक शिक्षकों के पद पर चयन की प्रक्रिया जारी रखने की स्वतंत्रता प्रदान की।

51. संक्षेप में याचिकाकर्ताओं का मामला इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी–प्राधिकारी ने बिना वर्गवार कटअॉफ अंको की घोषणा किए 1 जून, 2020 को नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची जारी की थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चयन सूची में केवल उन अभ्यर्थियों के नाम, अनुक्रमांक और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं और उन जिलों के नाम है जहां ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट (श्रेष्ठता क्रम) का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक एवं इसके सापेक्ष अन्तिम श्रेणीवार कट–ऑफ अंक जिसके आधार पर चयन हुआ था, का उल्लेख नहीं है।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

52. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि चयन सूची में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण, उन्होंने अपनी तरफ से जांच पड़ताल की और पाया कि 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां अनारक्षित श्रेणी (एमआरसी अभ्यर्थियों सहित) में आने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित की गई हैं और इस प्रकार आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) और धारा 3(6) के तहत उपलब्ध आरक्षण की योजना/कोटा का उल्लंघन है।

53. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने संक्षेप में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) का हवाला देते हुए कहा है उक्त धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा में चयनित होता है तो उक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया यह तर्क कि आरक्षित श्रेणी (एमआरसी) के कुछ प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में शामिल करने से चयन प्रक्रिया में अन्तिम रूप से चयनित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की कुल संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की कुल संख्या कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निर्धारित कोटा से बहुत कम किया गया है और उक्त प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) और धारा 3(6) के अतिक्रमण में है।

54. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने शासनादेश दिनांकित 25.03.1994 और दिनांकित 30.01.2015 का भी संदर्भ दिया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि जब आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6)

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

किसी भी चयन में कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम धारा की 3 (1) के तहत यथा उपबंधित आरक्षण कोटा का स्वतः उल्लंघन हो जाता है और सम्पूर्ण आरक्षण नीति अस्त–व्यस्त हो जाती है और ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में असमर्थ हैं, प्रावधानित लाभकारी प्रावधान निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार, उनके अनुसार जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण की आवश्यकता है उन्हें प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति के दोषपूर्ण और अतार्किक कार्यान्वयन के कारण वंचित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसे एमआरसी अभ्यर्थियों का चयन, जिनकी मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के बराबर अथवा अधिक है, मनमाने ढंग से आरक्षित कोटा के सापेक्ष समायोजित किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारियों की उक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरक्षित रिक्तियों की समान संख्या ऐसे एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित कर ली गई है जिन अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए था जिसका परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ताओं के समान पात्र आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सबसे नीचे रखकर सहायक अध्यापक के पद पर चयन के लिए विचार किये जाने की परिधि से बाहर कर दिया गया है।

55. आगे याचिकाकर्ताओं का कथन है कि प्रत्यर्थियों ने धारणा बनाई कि आरक्षित कोटे पर समायोजित किए जाने के बाद इन एमआरसी अभ्यर्थियों ने वास्तव में सामान्य श्रेणी में अपने संबंधित स्थान खाली कर दिया है जिसको सामान्य श्रेणी के आधिक्य अभ्यर्थियों में से भरा गया था। इस प्रकार, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनारक्षित/सामान्य वर्ग के कम योग्य अभ्यर्थियों का चयन 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक अनारक्षित सीटों पर किया गया है और अधिक योग्य आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों, जैसे कि याचीगण को, आरक्षित सीटों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए समुचित विचारण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शाहजहांपुर जिले में किए गए चयन का उदाहरण दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अनुसार कुल 1450 सीटों में से अधिकतम 725 सीटें अनारक्षित/सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जानी चाहिए थीं और शेष 725 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जानी चाहिए थीं, जबकि उनके कथनानुसार

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

वास्तव में करीब 880 सीटें एमआरसी अभ्यर्थियों सहित अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी गयी थीं और इस प्रकार आरक्षित श्रेणी से संबंधित मौलिक सीटें अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा अतिक्रमित कर ली गई हैं।

56. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा एमआरसी अभ्यर्थियों को वरीयता वाले जिलों के आवंटन में अधिकारियों द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वरीयता वाले जिले आवंटित करते समय प्राधिकारियों ने उन्हें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना है, जबकि इस न्यायालय के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार जिला आवंटन के उक्त उद्देश्यों के लिए इन अभ्यर्थियों को मात्र कल्पित रुप से आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाना है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से यह मान लिया है कि एमआरसी द्वारा छोड़ी गई अनारक्षित सीटें और अधिक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन के लिए उपलब्ध थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे एमआरसी की अवशेष सीटों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का अतिरिक्त चयन हुआ, जिनको अनारक्षित रिक्तियों के बजाय आरक्षित कोटा रिक्तियों के लिए अवैध रूप से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कथन किया गया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के इस अतिरिक्त चयन के कारण, याचिकाकर्ताओं जैसे आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित सीटों के सापेक्ष चयन से वंचित कर दिया गया था जबकि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) और धारा 3(6) के तहत आरक्षित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए उनका समुचित रूप से विचारित किया जाना उनका कानूनी अधिकार था।

57. इस प्रकार, 01.06.2020 की चयन सूची को उस सीमा तक चुनौती दिये जाने की मांग की गई है जहां तक यह आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यद्यपि 1994 के आरक्षण अधिनियम की धारा 3 (6) के अनुसार एमआरसी अभ्यर्थी को अनारक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जाना चाहिये लेकिन

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

वास्तव में प्रत्यर्थी अधिकारियों ने आरक्षित रिक्तियों पर एमआरसी अभ्यर्थी को अपनी पसंद का जिला आवंटित करने के बहाने समायोजित कर दिया है और इसी प्रकार अनारक्षित श्रेणी में एमआरसी अभ्यर्थियों की गणना न करके प्रत्यर्थियों ने, ओबीसी, एससी और एसटी के वास्तविक आरक्षण कोटा को कम कर दिया है, जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (4) का उल्लंघन है।

58. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है इसी तरह की रिट याचिकाएं दायर की गई और इस न्यायालय ने 25.08.2020 को प्रमुख मामले में एक आदेश पारित कर कहा कि उक्त मामले में एक मुख्य प्रति–शपथपत्र दाखिल कर उसकी एक प्रति इस तरह की अन्य रिट याचिकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्तागण को प्रदान की जाए जो और अन्य मामलों में प्रत्यर्थियों की ओर से अलग से प्रति–शपथपत्र दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मामले में दाखिल किए गए प्रति–शपथपत्र को अन्य समान मामलों में दाखिल प्रति–शपथपत्र माना जाएगा। इसके अलावा, इस न्यायालय ने प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 7 दिसंबर, 2020 को आदेश पारित कर कहा कि इस बीच, सहायक अध्यापक के पद पर की गई नियुक्तियां इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

59. प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों द्वारा 19 जनवरी, 2021 को प्रति–शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें यह कहा गया था कि रिट याचिका केवल आशंका के आधार पर दायर की गई है और रिट याचिका के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उनकी आशंका की पुष्टि होती है। उनके अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया गया है और दिनांक 01.06.2020 की चयन सूची को अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त गुणवत्ता अंकों के आधार पर तैयार किया गया है और एनआईसी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया द्वारा आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टि के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है और यह एक यांत्रिक प्रक्रिया थी, जिसमें किसी प्राधिकारी का कोई

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

हस्तक्षेप संभव नहीं था। प्रत्यर्थी ने एक तकनीकी बिंदु भी उठाया कि जहां तक दिनांक 01.06.2020 की चयन सूची को रद्द करने का प्रश्न है रिट याचिका पोषणीय नहीं है। क्योंकि वह प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को पक्षकार बनाने में विफल रहे हैं। प्रत्यर्थियों के अनुसार, कुल विज्ञापित 69000 पदों के सापेक्ष और विभिन्न कोटा के 67,867 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लगभग 1133 पद अपेक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण अभी भी रिक्त है।

60. प्रत्यर्थियों ने सहायक शिक्षकों की जिला–वार नियुक्ति का ब्यौरा भी दिया और कहा कि 34,598 अनारक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य श्रेणी के 19805 अभ्यर्थी, अ.पि.व. (एमआरसी) के 13007 अभ्यर्थी, एससी (एमआरसी) के 1753 अभ्यर्थी और अनुसूचित जनजाति के 24 अभ्यर्थी चुने गए हैं। प्रत्यर्थी–प्राधिकारी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं और चयन सूची के अनुसार, 18598 अभ्यर्थियों का चयन उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा में किया गया है। इसके अतिरिक्त 13007 अ.पि.व. (एमआरसी) का चयन अनारक्षित श्रेणी में किया गया है। प्रत्यर्थी के अनुसार, इस तरह से लगभग 31605 अभ्यर्थियों का चयन अ.पि.व. श्रेणी से किया गया है और इसलिए चयन सूची में कोई विसंगति नहीं थी।

61. प्रत्यर्थियों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के कट–ऑफ अंकों का भी निम्नवत उल्लेख किया:

अनारक्षित श्रेणी	67.11
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	66.73
अनुसूचित जाति (एससी)	61.01

और तर्क दिया कि 69000 सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में , उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 द्वारा विहित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया गया

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

है और चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त गुणवत्ता मापक अंको के अनुसार विशिष्टतः तैयार की गई थी और किसी भी अभ्यर्थी के लिए योग्यता सूची का उल्लंघन नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिकाओं में कोई बल नहीं था और वह खारिज किये जाने योग्य थी।

62. याचिकाकर्ताओं ने जवाब में, अपने तर्क को दोहराते हुए निम्नलिखित सारणी के माध्यम से भी प्रतिवाद किया जैसा कि उनके द्वारा अपनी रिट याचिकाओं में किया गया था और जिसको प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रति–शपथपत्र में प्रदान की गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया था जो इस प्रकार हैः

श्रेणी	कुल सीटें	कट–ऑफ	चयनित अभ्यर्थियों के बीच विभाजन (कुल– 67, 867)
अनारक्षित	34, 589	67.11	19805 (सामान्य) 13007 (अ. पि.व.– एमआरसी) 1753 (एस. सी.– एम.आर.सी.) 24 (एस. टी.– एम.आर.सी.)
अ. पि. व.	18598	66.73	18598
एस. सी.	14459	61.01	14459
एस. टी		56.09	221 (अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 1133 सीटें रिक्त रह गई)

उपर्युक्त सारणी का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रत्यर्थी–प्राधिकारी की स्वयं की जानकारी के अनुसार, उन्होंने केवल 14784 अभ्यर्थियों को एमआरसी अभ्यर्थी के रूप में माना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रति–शपथपत्र प्राप्त होने के बाद, उन्होंने अभ्यर्थियों की श्रेणी का उल्लेख करने के साथ साथ उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर एक अन्य सारणी तैयार करवायी जो शिक्षा परिषद की वेबसाइट में उपलब्ध है और वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि चयन सूची में कम से कम 7149 अतिरिक्त/अधिक सामान्य वर्ग के

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अभ्यर्थियों को नामित/चयनित किया गया है, क्योंकि उनका नाम क्रम संख्या 34589, अर्थात सामान्य कोटा में सीटों की कुल संख्या, के उपरान्त प्रदर्शित होता है और जिसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता था, यदि प्रत्यर्थी ने आरक्षण नीति को उसके वास्तविक भाव में लागू किया होता।

63. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि वेबसाइट से उपलब्ध आंकड़ों से वे उन सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंकड़ों का भी संकलन करने में सक्षम हुए हैं, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के कट–ऑफ अंक अर्थात 67.11 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इस प्रकार यह सारणी निम्नवत दर्शाती हैः

श्रेणी	आरक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने एम.आर.सी. अंक अर्थात 67.11 के बराबर अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं (A)	एम.आर.सी. अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में एम.आर.सी. के रूप में वास्तविक रूप में चयनित हुए। (B)	एम.आर.सी. अभ्यर्थी जिनको अवैध रूप से आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी माना गया है (A minus B)
अ. पि. व.	28,978	13,007	15,971
एस. सी.	4,742	1,753	2,989
एस. सी.	52	24	28
कुल	33,772	14,784	18,988

उक्त सारणी का संदर्भ देकर याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के कुल 18,988 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था जिन्होंने सामान्य श्रेणी के कट–ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किये है, जबकि उनको आरक्षित श्रेणी में समायोजित किया गया है जो आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) का घोर उल्लंघन है। उनके अनुसार, अ.पि.व. के कुल 28,978 अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि केवल 13,007 अभ्यर्थियों को एमआरसी के रूप में माना गया है। इस प्रकार, अ.पि.व. कोटा सीटों में 15971 अभ्यर्थियों को समायोजित करने का तथ्य न केवल आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) की परिधि में है बल्कि अ.पि.व. कोटा में 15971 अ.पि.व.–एमआरसी अभ्यर्थियों के अवैध

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

समायोजन के कारण अ.पि.व. कोटा सीटों की उपलब्धता 18598 से घट कर मात्र 2627 रह गई है। इस प्रकार, यह दावा किया गया है कि 27 प्रतिशत अ.पि.व. कोटा सीटों के मुकाबले केवल 3.80 प्रतिशत कोटा सीटें वास्तव में उपलब्ध कराई गई हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति कोटा सीटों के लिए 21 प्रतिशत सीटों की वैधानिक उपलब्धता के मुकाबले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए वास्तव में केवल 16.62 प्रतिशत सीटें ही उपलब्ध कराई गई हैं। इसी तरह, यह प्रतिवाद किया गया था कि जहाँ तक एसटी कोटा सीटों का संबंध है, यदि 28 एसटी–एमआरसी अभ्यर्थियों को उनका यथोचित अधिकार दिया जाता और सामान्य श्रेणी की सीटों में समायोजित किया गया होता तो कुल रिक्त सीटें 1133 के स्थान पर 1161 होती।

64. इस प्रकार, याचिकाककर्ताओं द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह निवेदन किया गया है कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) के अन्तर्गत आरक्षण का कोटा अत्यधिक कम कर दिया गया है अर्थात अन्य पिछ़डा वर्ग के मामले में 27 प्रतिशत से 3.80 प्रतिशत और अनुसूचित जाति वर्ग के मामले में 21 प्रतिशत से घटाकर लगभग 16.62 प्रतिशत कर दिया गया है और इस तरह चयन सूची आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) के प्रावधानों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 9, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4) के प्रावधानों का उलंघन करती है । याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि यदि प्रतिवादी – प्राधिकारी नें उपरोक्त सभी 33,772 एमआरसी अभ्यर्थियों को समान्य श्रेणी में रखा होता/माना होता और 18988 अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में स्थानान्तरित नही किया होता तो याचिकाकर्ताओं के समान अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद के लिए चुना गया होता ।

65. याचिकार्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बिन्दु को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए कहा कि आरक्षण नीति को उसके सही परिप्रेक्ष्य में लागू नही किया गया है, एवं यह भी तर्क दिया कि शायद पूरी गलती आरक्षण अधिनियम 1994, की धारा 3(1) और 3(6) के कानूनी प्रावधानो की गलत व्याख्या के कारण प्रत्यर्थी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

द्वारा की गयी है, जिसमें कुछ एमआरसी अभ्यर्थियों को वरीयता जनपद का आवंटन करते समय, प्रतिवादी अधिकारियों ने उन्हे तात्विक रुप से केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रुप में माना है (बजाय उन्हे ऐसा परिकल्पित रुप में मानने के) जबकि मा० सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार और इस मा० न्यायालय के शिखा सिंह वाद में (उपरोक्त) , एमआरसी अभ्यर्थियों को जिले के आवंटन के उद्देश्य से मात्र परिकल्पित रूप में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रुप में माना जाना चाहिए और उसके बाद तात्विक रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रुप में माना जाए । याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त निर्णय में एकल न्याायाधीश नें प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे केवल एमआरसी अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन की प्रक्रिया को जारी रखें, उन्हे केवल उनके प्राथमिकता के जनपद आवंटन के प्रयोजनो के लिए आरक्षित माना जाए ।

66. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि एमआरसी अभ्यर्थियों को जिलों के आवंटन में त्रुटि करने के बाद प्रतिवादी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से यह मान लिया है कि एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा छोड़ दी गई अनारक्षित सीटें सामान्य अभ्यर्थियों के और अधिक चयन के लिए उपलब्ध हैं और परिणामस्वरूप अतिरिक्त अनारक्षित चयन एमआरसी अभ्यर्थियों की सीमा तक किया गया था, जो अनारक्षित रिक्तियों के बजाय आरक्षित कोटा रिक्तियों के प्रति अवैध रूप से समायोजित किए गए थे । सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के इस अतिचयन के कारण याचिकाकर्ताओं के समान आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित सीटों के प्रति चयन से वंचित कर दिया गया, हालांकि आरक्षण अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (6) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के प्रति चयन हेतु समुचित विचारण उनका विधिक अधिकार है, जिसका प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

67. वादों के वर्तमान समूह की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने एक पूरक शपथ पत्र दिनांकित 27.01.2021 दाखिल किया जिसमें यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने चयन सूची दिनांकित 01.06.2020 से रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में आदेश दिनांकित 24.09.2020 जारी कर तेजी लाई, जिसमें प्रथम

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

चरण में चयन सूची दिनांकित 01.06.2020 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर 31,661 रिक्तियां भरने का निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार, राज्य द्वारा दिनांक 11.10.2020 को एक उप–चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें 31,277 अभ्यर्थियों की सूची निहित थी और पुनः जागरुक याचिकाकर्ताओं ने यह जाँच करने के लिए पूछताछ की कि क्या 69.25 गुणवत्ता अंक से कम अंक प्राप्त करने वाला सामान्य श्रेणी का कोई अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर आरक्षण के आधार पर चुना गया है या नहीं। 34589 वें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया गया 69.25 गुणवत्ता अंक तकनीकी रूप से अनारक्षित श्रेणी के लिए अंतिम सीट थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह पाया गया कि 31,277 की सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी, जिसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, को 71.2. गुणवत्ता अंक प्राप्त हुए थे ।

68. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 18 नवंबर, 2020 (राम शरण मौर्य वाद) द्वारा राज्य सरकार को 69000 विज्ञापित रिक्तियों के अनुसरण में चयन प्रक्रिया जारी रखने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन उक्त स्वतंत्रता किसी भी प्रकार राज्य सरकार को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) और धारा 3 (6) का उल्लंघन करते हुए चयन करने की छूट नही देती है और इसलिए राज्य सरकार को 18,988 एमआरसी श्रेणी के अभ्यर्थियो को आरक्षित वर्ग में मानते हुए उनको उनकी वरीयता का जनपद देने के बहाने से आरक्षित वर्ग की सीटों पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से आदेश दिनांकित 18.11.2020 का प्रश्रय लेने की अनुमति नही दी जा सकती है।

69. यूपी बेसिक शिक्षा परिषद और इसके सचिव को आदेश दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से ओबीसी, एससी और अन्य श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों हेतु, जो न्यायालय के नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वयं का बचाव करने का इच्छुक हों, एक परिपत्र जारी करने और दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।

70 . याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पूरक शपथपत्र के उत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा 23 जुलाई, 2021 को एक प्रति शपथपत्र/प्रत्युत्तर दाखिल किया गया था।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

प्रतिवादी के अनुसार, यह चयन सूबेदार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एसएलपी नम्बर – 6687/2020 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.06.2020 के अनुपालन में किया जा रहा था जिसके अनुसरण में शासनादेश दिनांकित 24.09.2020 तथा शासनादेश दिनांकित 06.10.2020 सहायक शिक्षकों के चयन के लिए काउन्सलिंग आयोजित करने के लिए जारी किये गये थे। पहले चरण में कुल 31277 पदों को भरा गया था, जिसके बाद शासनादेश दिनांकित 24.11.2020 के के माध्यम से शेष 36590 रिक्तियों को भरना प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार, उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 67867 सफल अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग की गयी तथा शासनादेश दिनांकित 17.5.2021 के माध्यम से तीसरे चरण की काउंसलिंग एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरक्षण से संबंधित नियमों और शासनादेश का पालन करते हुए संबंधित जिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 69000 भर्तियां में शेष रिक्त पदो हेतु की गयी है।

71. उक्त उत्तर में, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 और शासनादेश दिनांकित 28 अगस्त, 2015 के अनुसार, वर्तमान चयन में अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। यह भी उल्लेख किया गया कि शासनादेश दिनांकित 25.09.2018 के अनुसार तत्संबंधित श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों हेतु 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और संबंधित अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सम्बन्धित अधिनियम एवं शासनादेशों दिनांकित 25.09.2018 और 21.06.2021 के अनुसार प्रदान किया गया है। प्रतिवादी ने 01.06.2020 को प्रकाशित 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची के अनुसार सीटों के वितरण से संबंधित अपना कथन प्रस्तुत किया, जिसे सारणी के रूप में निम्नवत दर्शाया जा सकता है:

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

वर्ग	कुल सीटें	चयनित कुल अभ्यर्थियों का विभाजन (कुल– 67,867)	
अनारक्षित (UR)	34589	19805 (सामान्य)	7159 (विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण)
			12,646 (सामान्य श्रेणी)
		13007 (ओबीसी–एमआरसी)) 1753 (एससी–एमआरसी) 24(एसटी–एमआरसी)	
अन्य पिछड़ा वर्ग	18598	18598	8418 (विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण)
			10,180 (ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए ओबीसी अभ्यर्थी)
अनुसूचित जाति	14459	14459	960 (विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण)
			13499 (ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी)
अनुसूचित जनजाति	1354	245	10 (विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण)
			211 (उर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी)

72. इस प्रकार प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया कि आरक्षण नीति के प्रावधानों का पालन करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के अन्तर्गत पूरी प्रक्रिया सम्पादित की गई है और उनके अनुसार आरक्षित वर्ग के कुल 48,062 अभ्यर्थियों का चयन एमआरसी, विशेष आरक्षण कोटा अथवा ऊर्ध्वाधर आरक्षण द्वारा 67,867 सीटों के प्रति किया गया है। इस प्रकार उनका कथन है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक नियमावली, 1981 के अनुरूप थी।

73 . एक अन्य प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के इस तर्क का खण्डन किया है और उनके अनुसार, प्राधिकरण द्वारा दायर प्रतिशपथपत्र भ्रामक था क्योंकि कई सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों, जो क्षैतिज आरक्षण के रूप में किसी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

विशिष्ट आरक्षण के अधिकारी नही थें, का चयन क्रम संख्या 34589 से परे किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कम से कम तीन सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का नाम दिया है जो किसी भी क्षैतिज आरक्षण के पात्र नहीं हैं एवं जिनका चयन क्रम संख्या 34591,34594 और 41905 पर किया गया है। उनके अनुसार, कम से कम 7149 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन उपलब्ध अनारक्षित रिक्तियों से परे किया गया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी का यह स्पष्टीकरण कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्षैतिज श्रेणी के अन्तर्गत चयन किया गया है, भ्रामक था और इस न्यायालय के समक्ष एक मिथ्या छवि गढ़ने का प्रयास था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यद्यपि प्रतिवादी/प्राधिकारी अभिलेखों का अभिरक्षक है तथापि इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत विशिष्ट निर्देश होने के बावजूद जिसमें कि आदेश दिनांकित 03 फरवरी 2021 और 17 मार्च 2021 भी सम्मिलित है, उसने अपने पूरक शपथपत्र में पैरा 17 (ए), 17 (बी) और 18 का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया । याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिवादी न केवल विशिष्ट उत्तर देने में विफल रहा है, बल्कि उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या बताने में भी विफल रहा है जिन्होंने 67.11% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इस प्रकार. चयन सूची न तो वैध है, न ही उचित है और न ही विधिक दृष्टि से मान्य है ।

74. मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन करने और कुछ पैराग्राफ डालने और मामले में पश्चातवर्ती प्रगति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रार्थना करने हेतु आवेदन दायर करने की मांग की । याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 01.06.2020 की चयन सूची दो अलग–अलग चरणों के माध्यम से अर्थात 11 अक्टूबर, 2020 की उप–चयन सूची के माध्यम से और दूसरी. 30 नवंबर, 2020 को दूसरी उप–चयन सूची के माध्यम से नियुक्ति हेतु क्रियान्वित करने की मांग की गयी थी, और उसके बाद सरकार ने 6696 रिक्त सीटों पर नियुक्ति करने के लिए दिनांक 26 जून, 2021 को एक और चयन सूची जारी की जिसके आधार पर किसी अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नही किया है। याचिकाकर्ता का मामला है कि जबकि प्रतिवादी ने आरक्षित श्रेणी के 67.11% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या से संबंधित इस न्यायालय

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

द्वारा उठाए गए प्रश्नों का एवं इस प्रश्न का भी कि क्यों अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति श्रेणी को 21% सीटें आवंटित करने के स्थान पर उन्हे क्रमशः मात्र 3.80% और 16.62% सीटें आवंटित की गई, समुचित उत्तर नही प्रस्तुत किया गया। राज्य ने एक प्रेस नोट दिनांकित 24.12.2020 जारी कर 69000 सहायक शिक्षक चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति लागू करने में गलती को स्वीकार किया और अाश्वासन दिया कि आरक्षित वर्ग की नियुक्ति कर उसे ठीक कर दिया जाएगा । याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रेस नोट के बाद, सचिव/विशेष सचिव. बेसिक शिक्षा विभाग ने उक्त बाध्यकारी परिस्थितियों में 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दिनांक 05.01.2022 को एक शासनादेश जारी किया।

75. याचिकाकर्ता के अनुसार चयन सूची दिनांकित 05.01.2022 , जो उसी तारीख के उक्त शासनादेश के अनुसरण में जारी की गई है, जिसमें केवल लगभग 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, यह दिखाती है कि राज्य सरकार ने प्रश्नगत चयन पर आरक्षण अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (6) के प्रावधान को लागू करने में अपनी गलती को आंशिक रूप से सुधारा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने इसी याचिका में 28 जनवरी, 2021 को दाखिल किए गए अनुपूरक शपथपत्र में यह दिखाया था कि आरक्षित वर्ग के लगभग 18,988 अभ्यर्थियों को समायोजित करने और चयनित करने की आवश्यकता है, हालांकि राज्य सरकार ने केवल 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने का निर्णय किया है, जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) और 3 (6) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ अभी तक लगभग 13000 अभ्यर्थियों को नहीं प्रदान किया गया है।

76. इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं की उपर्युक्त पहली श्रेणी में पक्षों के तर्क और विरोधी तर्क का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, क्योंकि अन्य सभी संबद्ध श्रेणियों के तथ्य और तर्क अतिच्छादित हैं, सिवाय इसके कि ये अन्य श्रेणियां पीड़ित याचिकाकर्ताओं के एक अलग समूह द्वारा कतिपय भिन्न प्रार्थनाओं के साथ

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

दाखिल की गई हैं। इस प्रकार, यह न्यायालय वाद की प्रत्येक श्रेणी के तथ्यों का बोझ इस निर्णय पर नहीं डालना चाहता।

H. <u>विचार–विमर्श और निष्कर्ष</u>

77. अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता श्री राजकुमार विश्वकर्मा और श्री शैलेंद्र तिवारी; अधिवक्ता श्री माया राम; अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार सिंह; अधिवक्ता श्री शिवम पांडे; अधिवक्ता श्री विनय के. पांडे; अधिवक्ता श्री आई. एम. पांडे, अधिवक्ता श्री श्रीकांत मिश्रा; वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती बुलबुल गोडियाल, अधिवक्ता श्री राजीव नारायण पांडे; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ एवं अधिवक्ता श्री नितेश कुमार; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित कुमार चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला; अधिवक्ता श्री विवेक मिश्रा; अधिवक्ता श्री गिरीश चंद्र वर्मा; अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित एवं अधिवक्ता श्री दीपक सिंह; अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता श्री अनस शेरवानी एवं अधिवक्ता श्री जे. के. मिश्रा; अधिवक्ता सुश्री ज्योति सिक्का; अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह; अधिवक्ता श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह; अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार यादव; अधिवक्ता श्री विकास यादव एवं अधिवक्ता श्री श्याम मोहन उपाध्याय, अपने संबंधित याचिकाकर्ता (ओं) के विद्वान अधिवक्ता के रूप में और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय भसीन एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह राज्य के विद्वान अधिवक्ता के रूप में एवं अधिवक्ता श्री राकेश कुमार चौधरी; अधिवक्ता श्री श्रेया चौधरी, अधिवक्ता डॉ. लालता प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल तिवारी को अपने सम्बन्धित प्रतिवादी/हस्तक्षेपकर्ता हेतु विद्वान अधिवक्ता के रूप में सुना।

78. सभी पक्षकारों एवं पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि रिट याचिका के इन समूहों में निर्णयन हेतु मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) ऐसी स्थिति में लागू होगी जहाँ आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) में या एटीआरई (सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा) में आरक्षित वर्ग के

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के लिए छूट का लाभ उठाया है, क्या फिर भी उसे अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने पर खुले चयन में समान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त प्रश्न इस अर्थ में प्रमुखता प्राप्त करता है कि उक्त प्रश्न के परिणाम का प्रभाव दूसरे प्रश्नो पर पड़ेगा क्योकि यह अन्य आनुषंगिक प्रश्नो का उत्तर देगा, जैसे (i) क्या दिनांक 01.06.2020 की चयन सूची मेधावी आरक्षित वर्ग (एमआरसी) के मेधावी अभ्यर्थियों पर विचार नही करने के कारण दूषित हो गई है जिसके परिणामतः इनका चयन आरक्षित श्रेणी हेतु विहित कोटा मे हुआ । (ii) क्या प्रश्नगत चयन एमआरसी अभ्यर्थियों के अस्थानान्तरण के कारण आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (1) का अनुपालन नहीं करने के कारण दूषित हुआ और उनके आरक्षित श्रेणी में समाहित होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का वास्तविक प्रतिशत घट गया/कम हो गया । (iii) क्या चयन सूची दिनांकित 01.06.2020 का पुनर्निर्धारण वर्तमान मामले के तथ्यों में उपयुक्त है। दूसरा आनुषंगिक प्रश्न यह है कि क्या राज्य आरक्षण नीति एटीआरई–2019 को लागू करने में कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए मूल रूप से विज्ञापित 69000 सीटों से परे कोई अतिरिक्त चयनित सूची प्रकाशित कर सकता है, और वह भी केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। कुछ रिट याचिकाएं 6800 की अतिरिक्त चयन सूची दिनांकित 05.01.2022 के क्रियान्वयन के लिए भी दायर की गई हैं। जो इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु अन्य मामलों के समूह के साथ एक प्रश्न है।

79. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत कथन अतिच्छादित हैं। न्याय निर्णयनों का संदर्भ भी लगभग समान है। इस न्यायालय की राय में, आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों की संख्या/आंकड़ों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो अभ्यर्थी अंततः आरक्षण की प्रकृति और सीमा के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2020 की चयन सूची में शामिल हैं।

80. प्रतिकथनों को सुनने और उनके द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत गए अभिवचनों और विभिन्न दस्तावेजों के परीक्षण के उपरान्त इस न्यायालय का यह मत है कि

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

मुख्य मुद्दे को पहले निर्णीत करना आवश्यक है और शेष मुद्दे स्वतः ही निर्धारित हो जाएंगे क्योंकि अन्य सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

81. यह तर्क दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा टीईटी और एटीआरई के स्तर पर प्राप्त आरक्षण उन्हें अनारक्षित श्रेणी में स्थानान्तरण करने के लिए अयोग्य ठहराता है और चूंकि उत्तरदाताओं ने उन्हें खुली श्रेणी में स्थानांतरित होने की अनुमति दी है, अतः खुली श्रेणी में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीटों को स्थानान्तरित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा ले लिया गया है। जबकि दूसरी ओर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने तर्क दिया है कि एम.आर.सी. अभ्यर्थियों को खुली श्रेणी कोटा में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रत्यर्थी द्वारा नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इन एम.आर.सी. अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटें ले लीं और इस प्रकार आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों की बड़ी वैध संख्या, जो आरक्षित श्रेणी में माने जाने की हकदार थी, आरक्षण प्राप्त न कर सकी और उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा छोड़ दिया गया है।

82. हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और (2) अनिवार्य रूप से सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख करते हैं, इस देश के सभी नागरिकों को राज्य के किसी भी कार्यालय मे रोजगार अथवा नियुक्ति से संबंधित माामलों में अवसर की समानता का आश्वासन देते हैं और यह सुनिश्चित करते है कि इस देश के किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी एक के आधार पर किसी लोक नियुक्ति के लिए भेदभाव न किया जाए। मौलिक अधिकार होने के कारण उक्त अनुच्छेद आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक प्रकृति का है। हालांकि, हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 (4) एक अनावरोधक खण्ड से प्रारम्भ होता हैः "यह अनुच्छेद राज्य को आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा.... " जिसे तकनीकी रूप से अनुच्छेद 16 (1) या 16 (2) पर प्रवर्तनीयता के लिए जोड़ा गया है। किन्तु यह एक सक्षम प्रावधान है जो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, राज्य की राय में जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है, राज्य को आरक्षण के प्रावधान निर्मित करने के निमित्त विवेकाधिकार एवं संरक्षण प्रदान करता है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

83. इसके अलावा, जैसा कि संवैधानिक पीठ द्वारा इंद्रा साहनी, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 477 के निर्णय में कहा गया कि आरक्षण विभिन्न रूप ग्रहण कर सकता है। इनमें वरीयताएं, रियायतें, छूटें, अतिरिक्त सुविधाएं आदि शामिल हो सकती हैं या नियुक्तियों में एक विशेष कोटा हो सकता है। जब नियुक्तियों के लिए विशेष कोटा के अतिरिक्त अन्य उपाय अपनाए जाते हैं, तो वे आरक्षण उपायों के आनुषंगिक होते हैं या आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सहायक या आवश्यक होते हैं। आरक्षण विशेष प्रावधान का उच्चतम रूप है, जबकि वरीयता, रियायत और छूट लघुतर रूप हैं। संवैधानिक. योजना और अनुच्छेद 16 (4) के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण की व्यापक अवधारणा अपने दायरे में सभी पूरक और सहायक प्रावधानों के साथ–साथ आवश्यकता के अनुरूप छूटें, रियायतें और ढीलें, जो प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने के अनुरूप हो, लघुतर प्रकृति के विशेष प्रावधानों को भी शामिल करती है, जैसा कि अनुच्छेद 335 में वर्णित है ।

84. अब यह अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि राज्य को छूट, रियायत और आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंड तय करने का अधिकार है और जिस तरीके से ऐसे आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए वह निर्धारित करने का अधिकार है। आरक्षण, एक सक्षम प्रावधान होने के नाते, जिस तरीके और सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाना है, उसकी व्याख्या सरकार द्वारा जारी आदेशों में की जा सकती है। सामान्य श्रेणी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का स्थानान्तरण भी आरक्षण की व्यापक अवधारणा का हिस्सा है। आरक्षण प्रदान करते समय सरकार अपने विवेकाधिकार से ऐसे लोगों के सामान्य वर्ग में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है। यह पिछड़े वर्गों को रियायतों का विस्तार करते समय और छूट प्रदान करते समय, जो ऐसी छूट और रियायतों का लाभ प्राप्त करते हैं, सामान्य वर्ग में स्थानांतरित होने से भी वर्जित कर सकता है।

85 . उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अधिनियमित किया है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली के नियम 9 के आधार पर, जो शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण से संबंधित है, उपरोक्त वर्तमान चयन प्रक्रिया पर भी लागू है।

86. प्राथमिक मुद्दा आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) के क्रियान्वयन की परिधि में है जो इस प्रकार है–

> (6) यदि उपधारा (1) में वर्णित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा में योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो वह उपधारा (1) के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

87. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यात्मक कथानक का संबंध है, इस न्यायालय का यह विचार है कि आरक्षण की रियायत, जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन स्तरों में उपलब्ध करायी गयी। पहले स्तर पर, जब आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों को टीईटी में रियायती उत्तीर्ण अंक लाने पर ए.टी.आर.ई.– 2019 के फॉर्म भरने और उसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दूसरा स्तर उस चरण में प्रारम्भ होता है जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एटीआरई–2019 में उपस्थित होते हैं और अपनी श्रेणी हेतु विहित रियायती न्यूनतम अंकों के साथ एटीआरई–2019 में अर्हता प्राप्त करते हैं और इस प्रकार चयनित सूची के विचारण के अन्तर्गत आ जाते है। इसका अंतिम स्तर नियमावली के अनुलग्नक–1 में यथा उपबंधित गुणवत्ता बिंदुओं के आधार पर चयन सूची तैयार करना है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अंकों की छूट टीईटी के साथ–साथ ए.टी.आर.ई. के चरण में भी उन अभ्यर्थियों पर लागू की गई थी जिन्होंने चयन सूची में स्थान प्राप्त किया और चूंकि अनारक्षित श्रेणियों हेतु आरक्षित श्रेणी के साथ प्रतियोगिता के समान अवसर उपलब्ध नहीं थे। अतः कोई भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का खुली श्रेणी में कोई भी स्थानान्तरण आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के प्रावधानों के विरूद्ध था।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

88. यह न्यायालय वर्तमान सहायक शिक्षक चयन विवाद से संबंधित धारा 3 (6) को लागू करने का निर्धारण करे उससे पहले सर्वप्रथम यह समझना समीचीन होगा कि क्या टीईटी या ए.टी.आर.ई. पात्रता मानदंडों का हिस्सा थे या एटीआरई– 2019 के लिए चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि किस स्थिति में किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का खुली प्रतियोगिता में भाग लेना कहा जा सकता है ताकि उन्हें खुली श्रेणी में स्थानान्तरित होने हेतु सक्षम किया जा सके और उन्हें अधिनियम की धारा 3 (6) के अन्तर्गत आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के प्रति समायोजित न किया जाये।

89. इस न्यायालय ने पाया कि उत्तर प्रदेश बेसिक (शिक्षक) सेवा (20 वां संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा टीईटी और एटीआरई दोनों को प्रस्तुत किया गया था जो नियमावली, 1981 को 09.11.2017 को संशोधित करके बने।

90. जहां तक "शिक्षक पात्रता परीक्षा" का संबंध है, जो लोकप्रिय रूप से "टीईटी" के रूप में जानी जाती है उसका इतिहास अलग है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (एनसीटीई अधिनियम) अधिनियमित किया गया था और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। आरटीई अधिनियम की धारा 23 (1) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और इस निमित्त एनसीटीई को प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए एनसीटीई ने 23.08.2010 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें ऐसी योग्यताएं निर्दिष्ट थी जिसके अनुसार अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पारित उत्तीर्ण करनी थी।

91. यह न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित आर.टी.ई. धारा 23 (2) के अन्तर्गत टीईटी उत्तीर्ण करने की कथित आवश्यकता में छूट से संबंधित विवरणों

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

के इतिहास और संबंधित उ. प्र. राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा मित्र के विवाद और अधिकार पर गौर नहीं करेगा। यह कहना पर्याप्त होगा कि इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रख्यात निर्णय "**उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य" (2018) 13 एससीसी 560,** द्वारा निर्णीत किया गया है। इसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 21.8.2017 को एक प्रेस नोट जारी कर विभिन्न व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी सम्मिलित हैः–

- शिक्षामित्र जो अध्यापक के पद पर समामेलित/समायोजित हो चुके हैं उन्हें दिनांक 01.8.2017 से वापस शिक्षामित्र के पद पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा ।
- राज्य सरकार अक्टूबर 2017 में टीईटी की परीक्षा आयोजित करेगी और ऐसे सभी शिक्षामित्र को आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।
- टीईटी परीक्षा के बाद बोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों के चयन के उद्देश्य से रिक्ति की उचित संख्या का विज्ञापन दिसंबर 2017 में प्रकाशित किया जाएगा और सभी पात्र आवेदकों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

92. जहां तक टीईटी परीक्षा आयोजित करने का सवाल है एनसीटीई ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए 11.02.2011 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें 60% (90/150) को अर्हता अंक के रूप में विहित किया गया था। यह राज्य सरकारों को उनकी आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को रियायत देने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस संबंध में उत्तरप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग ,भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों को

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु 5% की रियायत दी है जिसके अनुसार 55% अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने की अनुमति दी गई थी।

93. दिनांक 17.10.2019 की अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश टीईटी 2019 को अधिसूचित किया और अर्हक अंक हेतु जारी उक्त अधिसूचना के खंड 9 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 150 में से 82.5 अंक (अर्थात 55%) जबकि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक 150 में से 90 अंक (अर्थात 60%) विहित किए गए।

94. इस प्रकार जैसा कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा तर्क दिया गया है कि आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण करने में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद (अर्थात 55% उत्तीर्ण अंक) अधिनियम की धारा 3(6) का लाभ उठाने के लिए खुली श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

95. जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने पाया है कि "टीईटी" और "एटीआरई" दोनों ही परीक्षाओं को यूपी बेसिक (शिक्षक) सेवा (20 वां संशोधन) नियमावली, 2017 दिनांक 09.11.2017 को 1981 के नियमों में संशोधन कर प्रारम्भ किया गया था। सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य योग्यता नियम 8(ii) में पाई जा सकती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उल्लिखित हैः–

> (क) भारत में कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक डिग्री के साथ–साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ प्रशिक्षण योग्यता जिसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षक प्रमाण पत्र (बीटीसी), 2 वर्षीय बीटीसी (उर्दू), विशिष्ट बीटीसी, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (विशेष शिक्षा), अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय डिग्री (बीएलएड), 2 वर्षीय डिप्लोमा इन

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

एलीमेन्ट्री एजुकेशन (जो भी नाम ज्ञात हो), प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़े जाने वाले विनियमन या कोई प्रशिक्षण योग्यता।

और

भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो

और

सरकार द्वारा संचालित सहायक शिक्षक चयन परीक्षा उत्तीर्ण हो

(ख) एक प्रशिक्षु शिक्षक जिसने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त षट्मासिक प्रारम्भिक शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

(ग) शिक्षामित्र जिसने भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष डिग्री और दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी पाठ्यक्रम या बेसिक शिक्षा सर्टिफिकेट (बीटीसी) पाठ्यक्रम, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) (उर्दू) या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित विशिष्ट बीटीसी और भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और सरकार द्वारा संचालित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

96. इस प्रकार, टीजीटी और एटीआरई दोनों पास करने की परिकल्पना 20 वें संशोधन द्वारा की गई, जो आवश्यक योग्यता का हिस्सा थी। हालांकि, केवल टीईटी या एटीआरई पास करने से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार है। क्योंकि सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिये उसका नाम चयन सूची में होना चाहिये। इस न्यायालय ने पाया है कि चयन सूची का निर्माण नियम 14 द्वारा निर्देशित था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए तीन बिंदुओं को निर्दिष्ट किया गया।

(i) अभ्यर्थियों को विहित प्रशिक्षण योग्यता धारित करनी चाहिए

और

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

(ii) सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना चाहिए

<u>और</u>

(iii) सरकार द्वारा संचालित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

इसके अलावा, नियम 14 (2) में कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिनके सम्बन्ध में उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वे विहित शैक्षणिक योग्यता धारित करते होगें और नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। नियम 14(3)(क) में कहा गया है कि सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस तरह से तैयार किए जाएंगे की अभ्यर्थी गुणवत्ता बिंदु और परिशिष्ट–1 में निर्दिष्ट भारांक के अनुसार व्यवस्थित किए जाएं। यह दिलचस्प है कि परिशिष्ट–1 अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक डिग्री और बीटीसी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों को 10% भारांक देता है। टीईटी पास करने के लिए भारांक स्पष्ट रूप से गायब है और भारांक का एक बड़ा भाग अर्थात 60% भारांक एटीआरई के नाम से आयोजित परीक्षा को दिया जाता है।

97. यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि नियमावली में यह अनिवार्य था कि बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए (i) शिक्षक पात्रता परीक्षा (जिसे एतस्मिनपश्चात **"टीईटी"** के रूप में संदर्भित किया गया है) और (ii) बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत चयन के लिए आयोजित एटीआरई परीक्षा उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य योग्यता थी, हालांकि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना केवल पात्रता के रूप में थी क्योंकि उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम सूची तैयार करते समय जोड़ा नहीं जाना था, जबकि एटीआरई ने दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति की क्योंकि यह न केवल पात्रता मानदंड था बल्कि उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक को अंतिम सूची/मेरिट तैयार करने में जोड़ा गया था।

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

98. इस प्रकार, एटीआरई को अर्हकारी प्रकृति और चयन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा दोनों के रूप में परिकल्पित किया गया था क्योंकि एटीआरई में प्राप्त अंक को चयन के उद्देश्यों के लिए तैयार की गई अंतिम श्रेष्ठता सूची में जोड़ा जाना था, जबकि टीईटी मात्र अर्हकारी थी और यह अभ्यर्थी को केवल एटीआरई के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती थी। इसके अलावा यह न्यायालय पाती है कि जहाँ तक एटीआरई का संबंध है, 22 वें संशोधन द्वारा इसे आवश्यक योग्यता के रूप में समाप्त कर दिया गया, हालांकि यह चयन प्रक्रिया से संबंधित नियम 14 का हिस्सा बना रहा।

99. स्पष्ट रूप से, टीईटी में उत्तीर्ण होना केवल एक पात्रता मानदंड था, ताकि कोई अभ्यर्थी एटीआर–2019 के आवेदन की योग्यता प्राप्त कर लें, जैसा कि दिनांक 01.12.2018 के शासनादेश के बिन्दु 7(2) से भी स्पष्ट है, जिसमें विर्निदिष्ट रूप से विहित है कि परीक्षा का आयोजन मात्र उन शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा, जो एटीआरई में भाग ले सकते हैं और जिसका परिणाम केवल उक्त वर्तमान भर्ती के लिए मान्य होगा। यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.12.2018 के उक्त शासनादेश को कोई चुनौती नहीं दी गयी है, जिसमें एटीआरई–2019 के माध्यम से सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

100. तथ्य और अभिलेख की बात करें, तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता मानदंड (अर्थात् अन्य योग्यता के साथ टीईटी उत्तीर्ण) को पूरा किया और एटीआरई के आवश्यक फॉर्म भरे। जिसका आयोजन 06 जनवरी 2019 को किया गया था। बाद में 07.01.2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मानदंड क्रमशः 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए। उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एटीआर–2019 में उत्तीर्ण होना चयन प्रक्रिया के लिए पात्रता मानदंडों में से एक है और न्यूनतम अंक प्राप्त करने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। एटीआरई–2019 को पात्रता मानदंड के रूप में उल्लिखित किया गया था क्योंकि किसी अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

करने से वह चयन के लिए विचार किए जाने के दायरे में आ जाएगा हालांकि अन्तिम रूप से, चयन नियमावली के परिशिष्ट–1 के अनुसार श्रेष्ठता सूची के आधार पर किया जाएगा और वे अभ्यर्थी जो श्रेष्ठता सूची में नहीं आ सके हैं, उन्हें एटीआर–2019 के आधार पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

101. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहायक शिक्षकों के पद के लिए चयन परिशिष्ट–1 के अनुसार तैयार गुणवत्ता बिंदुओं पर किया जाना था. हालांकि, क्या परिशिष्ट–1 को तैयार करना, जिसका परिणाम चयन सूची है, एक खुली प्रतियोगिता थी, या एटीआरई उत्तीर्ण करना एक खुली प्रतियोगिता थी, या रियायती टीईटी अंकों के साथ एटीआरई के लिए फॉर्म भरना एक खुली प्रतियोगिता थी, यह विवादास्पद बिन्दु था क्योंकि यदि परीक्षा के किसी भी चरण में, यह माना जाता है कि यह एक खुली प्रतियोगिता थी, तो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) के लागू होने से खुली श्रेणी में विचार किए जाने और स्थानांतरित किए जाने के हकदार होंगे।

102. आरक्षण अधिनियम के तहत 'खुली प्रतियोगिता' तो दूर की बात है, 'प्रतियोगिता' शब्द को ही परिभाषा नहीं किया गया है। कैम्ब्रिज शब्दकोश में, "प्रतियोगिता" को "एक संगठित अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें लोग सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेज आदि के रूप में पुरस्कार जीतने की कोशिश करते हैं।" इसी तरह, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने 'प्रतियोगिता' को कुछ पाने या जीतने की कोशिश करने का एक कार्य या प्रक्रिया (जैसे पुरस्कार या सफलता का उच्च स्तर) के रूप में परिभाषित किया है, जिसकी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी पाने या जीतने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार, आम भाषा में, प्रतियोगिता का अर्थ एक अवसर या एक प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होकर जीतने की कोशिश करता है। इसलिए कोई खुली प्रतियोगिता जैसा कि संदर्भ से सुसंगत समझी जा सकता है, एक प्रतियोगिता होगी, जो सभी के लिए खुली होगी, जिसमें प्रतिभागी सर्वश्रेष्ठ होकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में प्रतिभागियों ने कोई रियायत या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार, उक्त खुली प्रतियोगिता में, सर्वश्रेष्ठ का चयन बाकी प्रतिभागियों में से किया जाता है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

इन सभी के लिए लागू मानदंड समान हैं और वे समान मेरिट के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त खुली प्रतियोगिता में "समान अवसर" प्रदान किया जाता है।

103. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के सामान्य पठन से, यह स्पष्ट है कि उक्त उपधारा को दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त उपधारा एक ओर आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को अनुमति देती है, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं; उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच रखा जाना आवश्यक है और दूसरी ओर, यह उन सभी आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का कोटा सुरक्षित रखती है, जो अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के बावजूद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। न्यायालय के अनुसार, उक्त उपधारा आरक्षण के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करती है और अभ्यर्थी की योग्यता और प्रतिभा के संबंध में कोई समझौता किए बिना, आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटे की पूर्ति करती है, जो अन्यथा आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, लेकिन अधिक मेधावी है और वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ सफलतापूर्वक अपनी जगह बनाता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 3(6) पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के मूल सिद्धांत का अनुकरण करती है, क्योंकि यह उनके उत्थान का साधन होना चाहिए, न कि अंत का। जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा रही है।

104. इस प्रकार, अवधारण का प्रश्न यह है कि एटीआरई–2019 में अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रतियोगिता के किस चरण में, इसे एक खुली प्रतियोगिता कहा जा सकता है या उक्त परीक्षा में खुली प्रतियोगिता के लिए कोई मंच ही नहीं है।

105. वाक्यांश सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता' महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक समान स्तर पर सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तब तक उक्त वाक्यांश का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नहीं मिल सकता है। खुली प्रतियोगिता द्वारा

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

चयन की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ–साथ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता का भी समान मेरिट पर परीक्षण किया जाना है और यदि उस स्थिति में कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सफल होता है अथवा सामान्य श्रेणी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में रखा जाएगा। वर्तमान मामले में, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 के लिए आवेदन करने के स्तर पर, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी ने टीईटी को रियायती अंकों या उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, कोई अन्तर नहीं पड़ता है या एटीआरई में किसी भी अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है क्योंकि इन सभी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार क्षेत्र के भीतर आने के लिए पात्र होने के लिए न केवल अनिवार्य रूप से उपस्थित होना था, बल्कि चयन प्रक्रिया के चरणों में आगे बढ़ने के लिए उक्त एटीआरई में निश्चित मेरिट अंक भी प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार टीईटी में रियायती अंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अभ्यर्थियों को एटीआरई में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में कोई लाभ नहीं है। वास्तव में इस न्यायालय का विचार है कि खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के व्यापक आधार के लिए उक्त मंच स्थापित किया गया है, ताकि अन्य के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन किया जा सके। इसलिए रियायती अंक प्राप्त कर टीईटी पास करने वाले आरक्षित श्रेणी के छात्रों को उस स्तर पर उनकी ही श्रेणी में बांधा नहीं जा सकता है और किसी भी सूरत में यह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह नहीं है। यह समझा जाना चाहिए कि जब टीईटी की रियायत का लाभ उठाया गया था, तब खुली प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ नहीं हुई थी। यह तब प्रारम्भ हुई जब पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एटीआरई–2019 में बैठने की अनुमति दी गई; और, रियायती टीईटी या आयु में छूट या शुल्क रियायत से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मात्र विचारण क्षेत्र की परिधि में लाया गया, ताकि वे मेरिट के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें।

106. इस न्यायालय ने पाया कि आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही श्रेणी के अभ्यर्थी समान परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उनका परीक्षण समान प्रश्नों के सेट और कठिनाई स्तर की कसौटी पर किया गया है। इस न्यायालय की राय में,

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

टीईटी के उत्तीर्ण अंक में रियायत किसी भी तरह से "समान अवसर" को विकृत नहीं करती है। हालाँकि, अभ्यर्थियो का यह व्यापक आधार यदि एटीआरई–2019 में सम्मिलित होता है, जिसमें राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 60% और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 65% अंक न्यूनतम अंकों का मानदंड निर्धारित किया है एवं यदि इस स्तर पर एक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक यानी 60% का लाभ लेते हुए चयन सूची के चरण में आगे बढ़ता है, तो उसे मात्र उसकी श्रेणी में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एटीआर–2019 में रियायती अंकों के साथ अर्हता प्राप्त करना आरक्षण के तुल्य होगा। हालांकि, यदि उक्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ने उक्त एटीआरई–2019 परीक्षा में 65 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त किया है, तो उसे अपनी श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता है और उसे आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) के दृष्टिगत अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करना चाहिए। इस न्यायालय का मत है कि यह सारी कठिनाई 'अनारक्षित श्रेणी' और 'खुली श्रेणी' शब्दों के आपस में इस्तेमाल करने से उत्पन्न हुई है। अनारक्षित श्रेणी के लिए कोई कोटा नहीं है, जो वास्तव में एक खुली श्रेणी है, जिसमें उसकी श्रेणी के बजाय केवल मेरिट की गणना की जाती है।

107. इसके अलावा, इस न्यायालय ने पाया है कि जब एक बार ये अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में सफल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ या बिना अर्हता प्राप्त कर लेते हैं,जो इस पर निर्भर करता है कि वे आरक्षित श्रेणी के हैं या अनारक्षित श्रेणी के हैं, जिसमें नियमावली के परिशिष्ट–1 के अनुसार गुणवत्ता अंकों के आधार पर एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची के उक्त तरीके से तैयार करने में खुली प्रतिस्पर्धा की अवधारणा खो गई है जैसा कि अभ्यर्थियों (जिन्हें एटीआर परीक्षा में सफल घोषित किया गया था) को मात्र एक ऑनलाइन फॉर्म भरने और अपने शैक्षणिक परिणाम व अंकपत्र जमा करने के लिए कहा गया था जिसे नियमावली और व्याख्यात्मक शासनादेश द्वारा विहित भारांक के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। मेरिट चयन सूची तैयार करने के लिए गुणवत्ता अंकों के अनुसार सूची में किसी अभ्यर्थी को सम्मिलित करना एक खुली प्रतियोगिता नहीं है।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

108. उक्त सादृश्यता को वर्तमान वाद में प्रस्तुत संख्या से भलीभांति समझा जा सकता है। यह स्वीकार्य है कि 4,31,466 अभ्यर्थियों ने एटीआरई–2019 में पंजीकरण कराया है, जिसमें सभी ने रियायती अंकों के साथ या उसके बिना, टीईटी पास किया है। इस प्रकार, केवल एक रियायती टीईटी के साथ एटीआर–2019 के लिए आवेदन करना किसी भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना से विरत नहीं करती है। पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 4,31,466 अभ्यर्थियों में से 1,46,060 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। यही वह चरण है जब यह एक खुली प्रतिस्पर्धा थी और तदनुसार यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से मेल खाता है तो इस न्यायालय को इस बात का कोई कारण नहीं मिलता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) की भावना के अनुसार अनारक्षित कोटे में स्थानांतरित करने की अनुमति क्यों न दी जाए। नियमावली के परिशिष्ट–1 के अनुसार, गुणवत्ता बिंदु के आधार पर चयन सूची तैयार करना एक खुली प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि यह केवल उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक स्वाभाविक प्रगति है जिन्हें आरक्षित वर्ग हेतु प्रयोज्य रियायती अंकों के साथ या बिना रियायती अंकों के सफल घोषित किया गया है जिससे 69,000 रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची तैयार की गई। इस प्रकार, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए विहित न्यूनतम अंक अर्थात 65% अंक प्राप्त किए हैं या उनके साथ मेल खाते हैं, स्वाभाविक रूप से खुली श्रेणी में स्थानान्तरण होगी और तदनुसार उन्हे उक्त श्रेणी में चयनित किया जाएगा। हालांकि, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी 60% या उससे कम अंक प्राप्त करता है अथवा अनारक्षित श्रेणी में 65% या उससे कम अंक प्राप्त करता है, जैसा कि आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी के लिए अर्हता अंक के रूप में निर्धारित किया गया है, तो वह केवल आरक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा।

109. इसके अलावा, जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी एटीआरई–2019 में 65% प्राप्त करने में सक्षम है, तब वह स्पष्ट रूप से किसी भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के बराबर है और इस प्रकार उसे खुली श्रेणी में समायोजित किया जाना

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

चाहिए, क्योंकि उसे एटीआरई– 2019 में भाग लेने वाले किसी अन्य अभ्यर्थी की भाँति ही खुली श्रेणी में प्रवेश मिलता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अवधारित किया गया है कि एक मेधावी अभ्यर्थी को क्षति नहीं पहुंचायी जा सकती है और अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, जबकि वह सामान्य श्रेणी के अन्तिम अभ्यर्थी के समान अथवा उससे अधिक मेधावी है। बार–बार इस न्यायालय के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अनारक्षित श्रेणी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित श्रेणी नहीं है, बल्कि एक खुली श्रेणी है, जो आरक्षित श्रेणी के साथ–साथ सामान्य श्रेणी के लिए भी खुली है, जिसमें चयन के लिए योग्यता ही एकमात्र मानदंड है, बशर्ते कि चयन एक खुली प्रतियोगिता हो जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (6) के तहत परिकल्पित है। इसके अलावा, **उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994** [1994 का अधिनियम 4] के तहत जारी दिनांक 25.03.1994 के शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले भी कुछ छूटों का लाभ मिला है, लेकिन उन्हें अधिनियम की धारा 3 के आवेदन से वंचित नहीं किया जाएगा यानी कि यदि वह खुली प्रतिस्पर्धा में रहने योग्य हैं तो उन्हें वहां रखा जाएगा भले ही वह किसी भी पिछली छूट के लाभार्थी रहे हों।

110. इसके अलावा, आरक्षण की पद्धति और सीमा शासनादेश में वर्णित होनी चाहिये। यदि शासनादेश में पिछड़े वर्गों के सामान्य वर्ग में स्थानान्तरण हेतु कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध अभिव्यक्त है तभी वे सामान्य श्रेणी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु अयोग्य होगें, क्योंकि अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत आरक्षण, सांप्रदायिक आरक्षण के रूप में कार्य नहीं करता है। यदि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा में चुने जाते हैं तो उनकी गणना पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष नहीं की जायेगी। उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा वाला अभ्यर्थी माना जाएगा। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ऐसे किसी शासनादेश को दर्शित नहीं कर सके, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान चयन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के इस तरह के स्थानान्तरण पर रोक लगाए।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

111. इस संदर्भ में, यह न्यायालय रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यामुल और अन्य, (1996) 3 एस. सी. सी. 253 में निर्णीत फैसले का संदर्भ ले सकती है। उक्त मामले में, जो सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामने आया, वह यह था कि क्या अनुसूचित जाति अथवा किसी अन्य आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी की गणना आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कोटे के सापेक्ष की जा सकती है भले ही वह खुली प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए चयन का हकदार था, अथवा फिर क्या उसे खुली प्रतिस्पर्धा का अभ्यर्थी माना जाएगा। उपर्युक्त निर्णय के प्रस्तर 13 में माननीय न्यायाधीश महोदय ने में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैंः

> "13. इस प्रस्थापना में कोई विवाद नहीं हो सकता कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है तो ऐसा प्रवेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निहित आदेश के विरुद्ध होगा।"

उपर्युक्त निर्णयन हेतु माननीय न्यायाधीश महोदय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एससीसी 217 को सन्दर्भित किया, जिसमें यह उल्लिखित हैः

> "इस संबंध में यह याद रखना ठीक है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह कार्य नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा में चुने जाएं। उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के सापेक्ष नहीं गिना जाएगा, ऐसे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को खुली प्रतिस्पर्धा का अभ्यर्थी माना जाएगा।"

112. इसके अलावा, इस न्यायालय ने आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, (1995) 2 एससीसी 745 के मामले में दिए गए निर्णय को संदर्भित किया है, जिसमें संविधान पीठ ने नियुक्ति व पदोन्नति तथा रोस्टर प्वाइंट के साथ–साथ आरक्षण पर भी विचार किया और निम्नानुसार मत व्यक्त कियाः

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

"जब किसी विशेष संवर्ग के संबंध में आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाता है और रोस्टर आरक्षित बिंदुओं को इंगित करता है तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं पर प्रदर्शित पद आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी गैर–आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में, उक्त पदों की संख्या को आरक्षण का प्रतिशत तय करने के लिए जोड़ा और माना नहीं जा सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) राज्य सरकार को अनुमति देता है कि वह किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकती है, जो राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसलिए यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछड़ा वर्ग/वर्गों, जिनके लिए आरक्षण किया गया है, राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे हैं। ऐसा करते समय राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी और राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को विचार हेतु ग्रहण कर सकती है। जब राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करने के बाद आरक्षण देती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत की सीमा का प्रावधान करती है, तो उस प्रतिशत का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्धारित प्रतिशत में केवल इसलिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि सामान्य सीटों के प्रति पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्य पहले ही नियुक्त/पदोन्नत किए जा चुके हैं।"

113. इस चरण में, इंद्रा साहनी (उपरोक्त) के प्रस्तर 811 का उल्लेख करना अत्यंत निर्देशात्मक है एवं इस प्रकार हैं

"811. इस संबंध में यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह कार्य नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ सदस्य खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाएं। उन्हें अनुसूचित जाति के सापेक्ष आरक्षित कोटे से चयनित न मानकर खुली प्रतिस्पर्धा का अभ्यर्थी माना जाएगा।"

114. उक्त मामले में, न्यायमूर्ति सावंत ने आरक्षण के दर्शन और उद्देश्यों की चर्चा करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया हैः

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

"411. किसी भी सभ्य समाज का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बिना गरिमा नहीं हो सकती। सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में समान अवसरों का अभाव समान प्रास्थिति, सामाजिक मामलों में समान भागीदारी और अन्ततः इसकी समान सदस्यता से भी वंचित करता है। व्यक्ति की गरिमा सामाजिक साधनों तक उसकी समान पहुँच की अनुपलब्धता के प्रत्यक्ष अनुपात में वंचित रहती है। लोकतांत्रिक नींव का अभाव तब होता है जब समाज के एक बड़े वर्ग को विकसित होने, शासन करने और अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का समान अवसर नहीं मिलता। अवसरों से वंचित रहना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, अगर इसका लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया हो। फिर भी इसके परिणाम उतने ही शक्तिशाली हैं।"

412. असमानता बन्धुत्व को क्षति पहुंचाती है और एकता भाईचारे के बिना एक स्वप्न समान है। संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट बंधुत्व द्वारा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले लक्ष्य तब तक अप्राप्य रहेंगे जब तक सभी को अवसर की समानता प्राप्त न हो।

xxxx xxxxx xxxxx

416. संविधान के लक्ष्यों अर्थात् समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की त्रिमूर्ति तब तक साकार नहीं की जा सकती जब तक समाज के सभी वर्ग अपनी जाति, सम्प्रदाय, वंश, धर्म एवं लिंग से निरपेक्ष हो राज्य शक्ति में प्रतिभाग नहीं करते और राज्य शक्ति में भागीदारी से संबंधित सभी भेदभावों को सार्थक प्रयासों द्वारा निर्मूलन नहीं किया जाता।"

115. स्पष्ट रूप से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट है कि आरक्षण का पूरा उद्देश्य एक सामान्य अवधारणा है और विभिन्न परिस्थितियों में इसके भिन्न–भिन्न अर्थ हैं। भारत का संविधान, जो समस्त विधियों का स्त्रोत है, उक्त धारणा को समझने के लिये देश की मौलिक विधि की योजनाबद्ध व्याख्या को समझने और उसके आकलन की अपेक्षा करता है।

116. तेजपाल यादव बनाम भारत संघ (174 (2010) डीएलटी 510 (डीबी) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने समान तरह के एक मामले में यह

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

माना कि, एक छात्र स्वयं को ओबीसी श्रेणी में घोषित करके प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है एवं उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हो सकता है; यदि वह अनुत्तीर्ण होता है, तो यह उसके मार्ग का अवसान है; यदि वह उत्तीर्ण होता है, तो वह मुख्य परीक्षा में शामिल होता है; यदि वह उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसका प्रवेश का अधिकार पूर्णतः खत्म हो जाता है; यदि वह ओबीसी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह उस श्रेणी में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, परन्तु यदि वह सामान्य अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसका यह कहना उचित होगा कि उसे सामान्य श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि आरक्षण की पूरी अवधारणा को समग्र रूप से समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का शामिल होना मूल रूप से प्रवेश स्तर पर है, हालांकि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं आपस में जुड़ी हुई लग सकती हैं। परंतु गहन जांच पर यह स्पष्ट है कि एक सूक्ष्म विशिष्ट अंतर है; यदि कोई ओबीसी अभ्यर्थी ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होता है, और मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसके दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसने ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में प्रारंभिक परीक्षा दी थी; और यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी, जो वास्तव में मुख्य परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, उससे आगे निकल जाएगा; और यह जनहित में नहीं होगा।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

117. यह सच हो सकता है कि विज्ञापन के मद्देनजर चयन प्रक्रिया को इस तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए था कि यह सामान्य अभ्यर्थियों के साथ एक खुली प्रतियोगिता हो सकती थी, यानी एटीआरई–2019 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ तुलनात्मक रुप से रखकर और उसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में रखकर अंतिम चयन सूची तैयार की जा सकती थी लेकिन यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तथ्य की बात यह है कि रिट याचिका संख्या रिट–ए 13156/2020 व अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं के समूह में डॉ सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने 24.05.2022 को, जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक के तौर पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, अपना पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया था जिसके प्रस्तर 7 व 8 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना चयन सूची तैयार की गयी है कि इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया है।

118. इसके अलावा, यह न्यायालय प्रत्यर्थियों द्वारा मुख्य मामले (रिट–ए–संख्या 13156/2020) में दायर 24.05.2022 के संक्षिप्त जवाबी हलफनामे से असंज्ञानित नहीं रह सकती है, जिसमें उन्होंने प्रस्तर 5 और 6 में स्वीकार किया है कि वर्तमान भर्ती में लागू *अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण नीति को अधिकारियों द्वारा पुनरावलोकन किया गया, जिसमें यह पता चला कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को विपरीत क्रम में लागू किया गया था जिस कारण से कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य अभ्यर्थियों के समान या उच्च कट–ऑफ अंक प्राप्त किए हैं, उनको आरक्षित श्रेणी की सीटों के सापेक्ष नियुक्त किया गया है*। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने गलती स्वीकार करते हुए, मनमाने ढंग से इसे सुधारने का फैसला किया और इस तरह 6800 अभ्यर्थियों की चौथी चयन सूची जारी की, जो 05.01.2022 को प्रकाशित हुई थी। रिट याचिका–ए–8142/2021 में दायर एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामे दिनांकित 04.05.2022 में भी प्रत्यर्थियों द्वारा इसी तरह की स्वीकारोक्ति की गई थी।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

119. यह न्यायालय पाती है कि यद्यपि चयन सूची में एक स्वीकृत त्रुटि के उपरोक्त कारण तथ्यात्मक रूप से मान्य नहीं हैं फिर भी तर्क के लिए, यह माना गया था कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण विपरीत क्रम में लागू किया गया है तब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम संख्या में चयनित हुआ होना चाहिए था और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई होनी चाहिए थी क्योंकि 'अनिल कुमार गुप्ता' [(1995) 5 एससीसी 173] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 18 में सही क्रम अवधारित हुआ था कि पहले लंबवत आरक्षण और उसके बाद क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यदि, उत्तरदाताओं ने लंबवत और क्षैतिज आरक्षण विपरीत क्रम में लागू किया होता, जिसका अर्थ है कि क्षैतिज आरक्षण पहले लागू किया गया था और उसके बाद लंबवत आरक्षण लागू किया गया था, तो क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित पद कुल रिक्तियों की संख्या से आगणित किये गये होते और इस प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी (अनारक्षित और आरक्षित) को प्रभावित होना चाहिए था, इसलिए अनारक्षित श्रेणी की भी एक चयन सूची जारी करनी चाहिए थी न कि केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है।

120. सुनवाई के दौरान इस न्यायालय ने कई मौकों पर राज्य को एटीआरई–2019 में अभ्यर्थियों की श्रेणी और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के साथ विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था, हालांकि राज्य ने केवल आरक्षित श्रेणी व अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के आंकड़े और संख्या प्रदान की है। चार्ट में उक्त संख्या इस तथ्य को पुष्ट कर रही है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को खुली श्रेणी में माइग्रेट करने की अनुमति दी गई है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 3(6) के कार्यान्वयन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि, एटीआरई–2019 में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक कभी भी राज्य द्वारा उनकी श्रेणी सहित प्रदान नहीं किए गए थे और न ही इसे न्यायालय को उपलब्ध कराया गया था और इस तरह इस न्यायालय का विचार है कि सामान्य वर्ग में एमआरसी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के स्थानांतरण का सही मूल्यांकन वर्तमान मामले के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

121. इस न्यायालय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करने से पहले, यह सर्वोपरि होगा कि पार्टियों द्वारा उद्धृत विभिन्न न्याय निर्णयों और प्रकरण के प्रति उनकी प्रासंगिकता पर त्वरित चर्चा की जाए।

122. सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों का अवलम्ब लिया गया है। प्रथमतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय ***"जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2010) 3 एससीसी 119"*** को उद्धृत किया गया है। उक्त प्रकरण में सीधी भर्ती द्वारा सिविल पुलिस के उपनिरीक्षक एवं पीएसी में प्लाटून कमांडर के पद को भरने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट और ऊपरी आयु सीमा में शिथिलीकरण थी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 8(1) के अनुसार थीं। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(6) में प्रावधान है कि यदि एक आरक्षित अभ्यर्थी को एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चुना जाता है तो उसे आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा।

123. दिनांक 25 मार्च, 1994 के सरकारी निर्देशों में प्रावधान है कि यदि एक आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर किया होता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया जाएगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित माना जाएगा। यह इस बात के निरपेक्ष था कि उसने किसी सुविधा या छूट (जैसे आयु सीमा में छूट) का लाभ उठाया हो या नहीं। उक्त मामले में, अपीलकर्ता जो सामान्य वर्ग अभ्यर्थी थे, ने तर्क दिया कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के सापेक्ष नहीं बल्कि केवल आरक्षित

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए। यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं स्वीकारा गया। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने की थी। इसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था:

> "71. हमारी सुविचारित राय है कि 1994 के अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली रियायतों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित मानक में छूट नहीं कहा जा सकता है। धारा 8 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार में फीस एवं ऊपरी आयु सीमा में शिथिलीकरण के संबंध में रियायतें प्रदान कर सकती है।
>
> 72. 1994 के अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समूहों के लिए आरक्षण के विषय पर दिनांक 25–3–1994 को निर्देश जारी किए। अन्य बातों के साथ–साथ ये निर्देश निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:
>
> > "4. यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ–साथ आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में किया जाता है तो उसे आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया गया माना जायेगा। यह सारहीन होगा कि उसने आरक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी भी सुविधा या छूट (जैसे आयु–सीमा में छूट) का लाभ उठाया है।"
>
> उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयु सीमा में शिथिलीकरण केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए है जबकि अन्य सभी चीजें समान हों। चयन परीक्षा यानी मुख्य लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर चयन में राज्य ने आयु और शुल्क में शिथिलीकरण को चयन के मानक में शिथिलीकरण के रूप में नहीं माना है। इसलिए, इस तरह की छूट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माने जाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। धारा 8 की उप–धारा (2) आगे उपबंध करती है कि ऊपरी आयु सीमा में शिथिलीकरण सहित रियायतों और छूट के संबंध में अधिनियम के प्रारंभ पर लागू होने वाले सरकारी आदेश, जो अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं, वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

73. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वर्तमान अपीलों में, मुद्दा केवल आयु में छूट के संबंध में है और किसी अन्य रियायत के संबंध में नहीं है। धारा 3(6) या धारा 8 की अधिकारिता को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा केवल यह कथन किया गया कि आयु में छूट आरक्षित वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी को अनुचित लाभ देती है। वे अधिक अनुभवी हैं और इसलिए 21 से 25 वर्ष की आयु सीमा वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से आगे निकल जाते हैं।

74. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि आयु में छूट न केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को दी जाती है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी दी जाती है। इस तरह की आयु में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गई सेवा की अवधि के साथ–साथ अतिरिक्त तीन साल तक दी जाती है। वास्तव में, भूतपूर्व सैनिकों के मामले में शैक्षिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट या समकक्ष है जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह स्नातक है। हमारे सामने यह भी स्वीकार किया गया कि भूतपूर्व सैनिक न केवल अपनी श्रेणी में, बल्कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को दी गई आयु में छूट के संबंध में किसी भी अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। इसी तरह, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भी सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि वे सामान्य श्रेणी में अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में ज्यादा सार नहीं पाते हैं कि आयु में छूट सामान्य श्रेणी के लिए स्थिति को दुरुह बनाने की कीमत पर आरक्षित श्रेणी के पक्ष में स्थिति को अनुकूल कर देती है।

75. हमारी राय में, उम्र में छूट किसी भी तरह से "समान प्रतिस्पर्धा" को विकृत नहीं करती है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि आयु में छूट या शुल्क में रियायत से किसी भी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन होगा। ये रियायतें प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित प्रावधान हैं। जिस समय रियायतें प्राप्त की जाती हैं तब तक खुली प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई होती है। यह तब शुरू होती है जब योग्यता, आयु, प्रारंभिक लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण जैसी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। आयु में छूट एवं शुल्क में

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

रियायत के साथ आरक्षित अभ्यर्थियों को केवल विचार के दायरे में लाया जाता है, ताकि वे योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में भाग ले सकें। एक बार जब अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग लेता है, तो यह महत्वहीन हो जाता है कि अभ्यर्थी किस श्रेणी का है। पात्र घोषित किए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के साथ–साथ शारीरिक परीक्षण में भी भाग लिया था। इसके बाद ही सफल अभ्यर्थियों को खुली प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई है।"

124. मौजूदा मामले में भी टीईटी में पासिंग मार्क्स में दी गई रियायत किसी भी तरह से "समान प्रतिस्पर्धा" को प्रभावित नहीं करती है। टीईटी पास करना प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित एक प्रावधान है। उस समय जब टीईटी पास किया जाता है, भले ही अंक शिथिलीकरण के साथ, तब तक खुली प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है क्योंकि यह तब शुरू होती है जब योग्यता, टीईटी, आयु आदि पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एटीआरई में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में अवधारित किया है कि टीईटी के उत्तीर्ण अंकों में छूट देकर आरक्षित अभ्यर्थियों को केवल चयन हेतु विचार के क्षेत्र में लाया जाता है, ताकि वे योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता यानी एटीआरई–2019 में भाग ले सकें। एक बार जब अभ्यर्थी एटीआरई–2019 में भाग ले लेता है, तो यह मायने नहीं रखता कि अभ्यर्थी किस श्रेणी से संबंधित है और धारा 3(6) के संदर्भ में, यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के अंक की बराबरी करने में सक्षम है तो उसे स्थानांतरित करना चाहिए और अनारक्षित श्रेणी में माना जाना चाहिए।

125. पक्षकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अगले निर्णय, **"विकास सांखला बनाम विकास कुमार अग्रवाल, (2017) 1 एससीसी राजस्थान"** को उद्धृत किया है, जिसमें राजस्थान राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के माध्यम से शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में विवाद उठा था। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए टीईटी में न्यूनतम पास अंकों में 10 प्रतिशत तक

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

छूट दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विरचित कई विवाद्यकों में से एक निम्न प्रकार से था –

> "38.3 (iii) क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्होंने भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, को सामान्य सीटों पर जाने देने से इन्कार इस आधार पर किया जा सकता है कि उन्हे टीईटी में छूट प्राप्त हुई थी? "

126. इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का उल्लेख किया। यह उल्लेखित किया गया कि मात्र इस तथ्य से कि टीईटी में पास अंकों में कुछ छूट दी गई थी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि इससे वे केवल चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एवं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुए। इसलिए उस प्रकरण में 11 मई 2011 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ में ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों में चयन किये जाने के विचार के हकदार होंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मत निर्णय के पैराग्राफ 80 में व्यक्त किया गया है, जिसे निम्न प्रकार से कहा गया हैं।

> "80. ऊपर उल्लिखित संबंधित दलीलों के संबंध में, पहला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या टीईटी पास अंकों में छूट भर्ती प्रक्रिया में रियायत के समतुल्य होगी। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर ऐसा माना है कि टीईटी अंकों में इस तरह की छूट से संबंधित पैरा 9(ए) दस्तावेज़ का हिस्सा है जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अर्हता की शर्त है। यह एक आवश्यक योग्यता है जिसके बिना अभ्यर्थी नियुक्ति के योग्य नहीं है। 11 फरवरी, 2011 के दिशानिर्देशों/अधिसूचना में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। ये दिशानिर्देश टीईटी आयोजित करने से संबंधित हैं। जिसकी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

मूल विशेषताएं पहले ही ऊपर बताई जा चुकी हैं। यहां तक कि पैरा 9 जो कुछ आरक्षित श्रेणियों को दी जा सकने वाली रियायतों का प्रावधान करता है, वह उन 'योग्यता अंक' से संबंधित है जिसे टीईटी परीक्षा में प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जैसे ही टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हो जाता है, जब राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए ऐसी चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है। दूसरी ओर, जब शिक्षकों की भर्ती की बात आती है, तो शिक्षकों की नियुक्ति का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ, सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उनके विभिन्न शीर्षकों के तहत प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इन शीर्षकों में एक टीईटी में प्राप्त अंक भी है। जहां तक इस शीर्षक का संबंध है, टीईटी में प्राप्त अंकों का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित किया जाना है। अत: आरक्षित श्रेणी के तहत वे अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी में कम अंक प्राप्त किए हैं स्वाभाविक रूप से इस शीर्षक में कम अंक प्राप्त करेंगे। हम इसे एक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करना पसंद चाहेंगे कि मान लीजिए एक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी टीईटी में 53 अंक प्राप्त करता है, तो उसे टीईटी उत्तीर्ण माना जाता है। हालांकि, प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयन के लिए विचार किए जाने पर, अंकों के आवंटन के संबंध में वह टीईटी के लिए 20% अंक प्राप्त करेगा। उनके विपरीत, एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी जो टीईटी में 70 अंक हासिल करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में 14 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार, टीईटी अंकों के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को पद के लिए अपनी अभ्यर्थिता पर विचार करते समय कोई लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत, "सबको समान अवसर" को बनाए रखा जाता है, जिसमें टीईटी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति, चाहे वह सामान्य श्रेणी या आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो, को टीईटी अंकों के 20% अर्थात उच्च अंक आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया में कोई भारांक या रियायत नहीं दी जाती है और सभी को उनके टीईटी अंकों के20% अंकों का

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

आवंटन किया जाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं है कि टीईटी में शिथिलीकरण देकर भर्ती प्रक्रिया में रियायत दी गई थी।

127. यह न्यायालय पाता है कि **विकास सांखला** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने की अनुमति स्वीकार्य है जिन्होंने अंतिम अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, भले ही टीईटी में उत्तीर्ण अंकों में रियायत का लाभ उठाने के बाद प्राप्त किये थे। आगे, उक्त मामले में, शिक्षकों का चयन टीईटी में प्राप्त अंकों सहित विभिन्न शीर्षकों के तहत प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। इस प्रकार, टीईटी में अंक प्राप्त करना भी एक मानदंड था जो एक शिक्षक के रूप में एक अभ्यर्थी के समग्र चयन को प्रभावित करता था और उस परिस्थिति में भी, शीर्ष न्यायालय ने आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण के लिए टीईटी पास करने में प्राप्त रियायती अंकों को एक प्रतिबंध के रूप में मानने से इनकार कर दिया था। जबकि वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से टीईटी केवल एक अर्हता मानदंड है और उसका चयन सूची पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि टीईटी में अंक प्राप्त करना गुणवत्ता अंक का हिस्सा नहीं है जैसा कि नियमावली के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित किया गया है।

128. तृतीय निर्णय **"गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य, (2018)11 एससीसी 352"** जिसे पक्षकारों ने उद्धृत किया है, जिसमें विवाद्यक बिंदु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1989 के तहत आरक्षी के पद पर भर्ती से सम्बन्धित है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए गए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका को उस सीमा तक स्वीकार कर लिया था कि आयु में छूट प्राप्त करने के बावजूद यदि वे श्रेष्ठता सूची में सामान्य श्रेणी से ऊपर थे, तो वे सामान्य श्रेणी के पदों की रिक्तियों पर स्थानांतरित किए जा सकते थे। हालांकि, यदि उन्होंने प्रतिस्पर्धी परीक्षा/चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय छूट/रियायत का लाभ उठाया है तो वे इस स्थानातंरण के लिए अर्ह नहीं होंगे।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

129. उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों को उल्लिखित किया और यह पाया कि 24 जून, 2008 के परिपत्र के बिंदु 6.2 में एक अवरोधक लगाया गया है जो निम्नलिखित है –

> 6. 2 राज्य में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य अनारक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनके लिए उनकी गणना की जायेगी, यदि उन्होंने सीधी भर्ती के मामले में कोई रियायत (जैसे आयु आदि) आैर परीक्षा शुल्क के संदाय में प्राप्त नहीं की है।

130. इस प्रकार, उपर्युक्त अवरोधक आैर **"दीपा ई वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017)12 एससीसी"** के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में उन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों में अनारक्षित रिक्तियों में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 49 में बताया गया है।

> '49. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी, जिन्होंने आयु में छूट ली थी, अनारक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित होने के हकदार नहीं थे। राजस्थान सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को स्थानांतरित कर दिया है, जिन्होंने अनारक्षित रिक्तियों के लिए आयु में छूट ली है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जो अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों पर चयनित होने के हकदार थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के स्थानान्तरण के कारण अनारक्षित वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से हकदार थे, जिससे उन्हें राज्य द्वारा की गई उपरोक्त अवैध व्याख्या के आधार पर वंचित किया गया था। हालांकि, हम इस तथ्य को भी दृष्टिगत लेते हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आयु में छूट का लाभ उठाया था और अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित हो गए थे तथा वे अभ्यर्थी पिछले पांच से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों जिन्हे

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

स्थानांतरण के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था, वे किसी प्रकार से दोषी नहीं है। अतः, हमारा मत है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनको आरक्षित रिक्तियों पर स्थानांतरित किया है और नियुक्त किया गया, उन्हें विस्थापित नहीं किया जायेगा और संबंधित पदों पर कार्यरत रहने की अनुमति दी जाती है। दूसरी तरफ अनारक्षित अभ्यर्थी, जिन्हें अवैध स्थानातांरण के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका, वे भी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति के लिए हकदार हैं। "साम्या को इस न्यायालय के द्वारा समायोजित किया जाना है।''

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साम्या को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हुए प्रकरण निर्णीत कियाः–

50. रिक्तियों के अस्तित्व के प्रश्न पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि रिक्तियां अभी भी वहां मौजूद है, जिसका खंडन राजस्थान सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने किया है. हालांकि, रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में न तो अपीलार्थियों द्वारा कोई विवरण प्रस्तुत किया है और न ही राज्य सरकार ने रिक्तियों की उचित स्थिति के बारे में न्यायालय को सूचित किया है।

51 इसिलिए हम पक्षों के मध्य साम्या को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

51.1 रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी, जो अपनी श्रेष्ठता के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जाने के हकदार थे एवं जो रिक्तियां ऐसे एससी/एसटी/आेबीसी अभ्यर्थियों के स्थानांतरण के द्वारा भर दी गई जिन्होनें आयु में छूट प्राप्त की थी, को इन पदों पर नियुक्ति दी जाये। राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त आदेश जारी करे जो अपनी श्रेष्ठता के अनुसार सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित थे आैर नियुक्ति के हकदार थे। यह प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जाये।

[अन्य संबंधित मामलों के साथ रिट ए संख्या– 13156/2020]

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

51. 2 राज्य सरकार मौजूदा रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां करेगी, यदि उपलब्ध है, और उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां उपलब्ध न होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाये जो रिक्तियों के उपलब्ध हो जाने पर समाप्त कर दिये जाये।

131. इसके बाद न्यायालय ने **"दीपा ई वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 12 एससीसी 680"** के रूप में निर्णीत विधि पर विचार किया। दीपा ई. वी. (उपरोक्त) में तथ्य यह थे कि अपीलार्थी ने भारत सरकार के वाणिज्य आैर उद्योग मंत्रालय में कार्य करने वाली निर्यात निरीक्षण परिषद में प्रयोगशाला सहायक, ग्रेड–II के पद के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थी ओबीसी श्रेणी में थी और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उस श्रेणी के 11 अभ्यर्थियों में से एक थी। उसने 82 अंक अर्जित किए थे। एक अन्य ओबीसी अभ्यर्थी जिसने 93 अंक प्राप्त किए थे, चयनित हुआ था। सामान्य श्रेणी में किसी भी अभ्यर्थी ने 70 अंकों की न्यूनतम कटऑफ नहीं प्राप्त किया था।

132. अपीलार्थी ने तदनुसार तर्क दिया कि उसे सामान्य श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए। उनकी रिट याचिका एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी और उस फैसले के खिलाफ उनकी अपील भी खंडपीठ ने खारिज कर दी थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यवाही दिनांकित 1 जुलाई, 1998 में तीसरी शर्त का उल्लेख किया जिसका विषय था "श्रेष्ठता सूची में नीचे रहे अभ्यर्थियों द्वारा अथवा मानक शिथिलीकरण वाले अभ्यर्थी जो अपनी श्रेष्ठता के आधार पर चयनित हैं उनके द्वाराआरक्षित रिक्तियों को भरा जाएगा न कि आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।" तीसरी शर्त इस प्रकार हैः

'3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जिनका चयन उन्ही मानदडों पर किया गया है जो सामान्य अभ्यर्थी पर लागू होता है, उनका सामायोजन आरक्षित रिक्तियों पर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन में जब

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

शिथिल मानदंड लागू किए जाते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर आयु सीमा अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमन्य अवसरों की संख्या, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के विचारण के दायरे से विस्तृत है आदि तब एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष की जानी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष विचार करने के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा।

133. यह इस तथ्य के कारण था कि उपर्युक्त विशिष्ट अवरोधक को इस मामले में अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, जिससे उच्चतम न्यायालय उन्हें वह राहत नहीं दे सका जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी।

134. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर काफी भरोसा व्यक्त किया है, जिसका विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। यह **"राज्य (एनसीटी दिल्ली बनाम प्रदीप कुमार** (2019) **10 एससीसी 120"** के रुप में रिपोर्ट है। उक्त कथित प्रकरण में दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। प्रत्यर्थियों ने दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत प्राप्त छूट मानदंडों के तहत सीटीईटी प्राप्त किया था और इस प्रकार उनका अभ्यर्थन अर्ह नहीं माना गया जिसका समर्थन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नहीं किया गया था एवं जिसने अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बरकरार रखा। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों निर्णयों को पलटते हुए अपना विचार व्यक्त किया कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में कथित विशिष्ट तथ्यों के दृष्टिगत प्रत्यर्थियों के पास ओबीसी (दिल्ली) प्रमाण पत्र नहीं था और इस प्रकार ओबीसी श्रेणी रिक्तियों के सापेक्ष उनका विचार नहीं किया जा सकता था। उस मामले में विवाद्यक तथ्य/बिंदु आरक्षित वर्ग से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण नहीं था बल्कि उन आ◌ेबीसी के लिए आरक्षित वर्ग के पदों पर रोजगार प्राप्त करने से संबंधित था जो दिल्ली सरकार के द्वारा प्रमाणित थे। उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में पैरा 19.5 में विभेदक और विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है:

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

19.5 विकास सांखला (उपरोक्त) के मामलें में अन्य विभेदक पहलू यह है कि आरक्षित वर्ग के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान के थे। उसी राज्य के अर्थात राजस्थान में चयन और आकांक्षी अभ्यर्थियों के लिए, न्यायालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में स्थानान्तरण करने की अनुमति दी। वर्तमान प्रकरण में, हालांकि, अभ्यर्थी (अर्थात प्रत्यर्थी) दिल्ली के अतिरिक्त अन्य राज्यों से सम्बन्धित है। ओबीसी (बाहरी) होने के नाते, केवल अनारक्षित श्रेणी के तहत उनका विचार किया गया है, यदि उन्होंने सीटीईटी में कम से कम 60% अंक अर्जित किये हों। स्वीकार्य रुप से प्रत्यर्थियों ने 60% अंक नहीं पाए हैं अतः वे अपात्र हैं। इसके अलावा, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जो दिल्ली के बाहर किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रमाणित नहीं है वह दिल्ली सरकार के तहत प्रमाणित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के पदों पर रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकता है।

135. मामले की सुनवाई के दौरान सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4. एससीसी 542 के निर्णय को पक्षकारों द्वारा उद्धृत किया गया है जो उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र बल दोनों के तहत पुलिस आरक्षी की भर्ती से संबंधित है। उस मामले में विवाद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित क्षैतिज आरक्षण को उचित प्रकार से भरने से संबंधित था जिसमें बड़ी संख्या में आेबीसी वर्ग महिला अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की गयी थी कि सरकार ने आरक्षण के नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया आैर इस प्रकार उन्हें स्थानान्तरण के लाभ से वंचित कर दिया था। उदाहरण के तौर पर सामान्य श्रेणी के रिक्तियों में समायोजन, से वंचित किया गया। यद्यपि यह विवाद्यक बिंदु ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण और क्षैतिज (विशेष) आरक्षण के पारस्परिक क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ था। तथापि यह विवाद्यक बिंदु वर्तमान मामलों में इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। तथापि, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट का निष्कर्ष, जो उन्होंने अलग से सकारात्मक और पूरक निर्णय दिया है, विशेष महत्व का है क्योंकि यह विवाद्यक बिंदु को स्पष्ट करता है। न्यायमूर्ति भट ने अवधारित किया है–

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

'66. मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दोनों ही, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। इन्हें कठोर "पैमाने" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां अभ्यर्थी की श्रेष्ठता जिसके आधार पर वह सामान्य श्रेणी में दर्शित किये जाने का हकदार है, को अन्य प्रकार से अवरुद्ध कर दिया जाता है जैसा कि परिणाम होगा यदि सरकार के तर्कों को स्वीकार्य किया जाये। एेसा करना सामुदायिक आरक्षण के रूप में प्रभावी होगा जहाँ हर सामाजिक वर्ग अपने आरक्षण के दायरे में सीमित है और इस प्रकार यह श्रेष्ठता को नकारता है। सामान्य श्रेणी सभी के लिए उपलब्ध है और इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि एक अभ्यर्थी को इसमें दर्शित किये जाने के लिए श्रेष्ठता सूची में होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसे उपलब्ध है या नहीं।

136. किसी भी स्थिति में, जहां तक क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन का प्रश्न है, प्रत्यर्थी उपरोक्त निर्णय द्वारा निर्देशित होंगे क्योंकि उपरोक्त निर्णय उक्त विषय पर एक अधिकृत विधि है।

137. **"नीरव कुमार दिलीप भाई मकवाना बनाम गुजरात लोक सेवा आयोग, (2019) 7 एससीसी 383"** अगला मामला है जिस पर पक्षकारों ने भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय गुजरात राज्य में सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर भर्ती पर विचार कर रहा था। यह तर्क दिया गया कि प्रारम्भिक चरण में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, बिना चयन में किसी प्रकार का अधिमानी लाभ दिये, आयु में शिथिलीकरण देकर अर्हता प्रदान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण से सम्बन्धित मामलें के रूप नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, गुजरात सरकार द्वारा जारी 29.01.2000 और 23.07.2004 के परिपत्रों की व्याख्या यह दिखाने के लिए की गई थी कि किसी पद पर चयन के मामले में आयु में शिथिलीकरण को आरक्षण

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

के रूप में नहीं माना जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए सहर्ष अवधारित किया है कि–

> 25. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने 21.01.2000 और 23.07.2004 के परिपत्रों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने के लिए नीति तैयार की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आ ेबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अवसरों की अनुमति आदि में छूट का मानक लागू किया जाता है, तो ऐसी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी को उक्त तरीके से, केवल उसके आरक्षित पद के विरुद्ध ही विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित पद के लिए विचार करने के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा।

138 इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय से यह देखा गया है कि प्रत्येक मामला भर्ती नोटिस, प्रचलित क़ानून और समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों में निर्दिष्ट विशिष्ट तथ्यों और शर्तों से परिचालित होता है। यह देखा गया है कि नीरव कुमार दिलीपभाई मामले में, दीपा ई.वी. मामलें में और गौरव प्रधान मामलें में, ऐसे विशिष्ट निर्देश थे, जो अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों पर विचार करने से रोकते थे, जबकि जितेंद्र कुमार सिंह मामले और विकास सांखला मामले में उन्होंने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी थी, यदि उन्होंनें अनारक्षित श्रेणी की कट आफ अंक से बेहतर अंक प्राप्त किये थे। सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्तागण इस मामले के वर्तमान तथ्यों पर लागू होने वाले किसी विशिष्ट निर्देश को इंगित करने में सफल नहीं हो सके थे, जो आरक्षित श्रेणी का सामान्य वर्ग में स्थानान्तरण रोकते थे। वास्तव में, आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) और सरकार का दिनांकित 25.03.1994 का आदेश विशेष रूप से इस तरह के स्थानान्तरण को अनिवार्य बनाता है। जहां तक प्रदीप कुमार के मामले का संबंध है, यह तथ्यों के आधार पर अलग है क्योंकि उसमें एक पूरी तरह से अलग विवाद्यक बिंदु था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह अवधारित किया गया था कि दिल्ली के बाहर के राज्य/क्षेत्र में प्रमाणित ओबीसी

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

अभ्यर्थी दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के पदों पर रोजगार पाने के लिए पात्र नहीं हो सकता है।

I. अधिमान्य जिलों का आवंटन

139. एमआरसी (प्रतिभाशाली आरक्षित वर्ग) को सामान्य वर्ग की सीटों में स्थानान्तरण करने से संबंधित फैसले पर चर्चा करने के बाद, यह न्यायालय मामलों के इस वर्तमान समूह में एक और विवाद्यक बिंदु पर आती है। यह तर्क दिया गया है कि एमआरसी अभ्यर्थियों को वरीयता वाले जिले आवंटित करने में अधिकारियों द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है। सामान्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के अनुसार, यदि एक एमआरसी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग की श्रेष्ठता सूची में रहते हुए पसंदीदा जिला आवंटित नहीं हो पाता है, और ऐसा एमआरसी अभ्यर्थी अपने ही हितकारी कारणों से पसंदीदा जिला आवंटन के लिए आरक्षित श्रेणी में पुनः प्रत्यावर्तित होता है, तब ऐसे एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा खाली किए गए पदों को केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। इन अभ्यर्थियों ने **"भारत संघ बनाम रमेश राम और अन्य (2010)7 एससीसी 234"** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है। इन अभ्यर्थियों ने उक्त निर्णय के निष्कर्ष का अवलम्बन लिया है, जो पैराग्राफ 50 में यहां नीचे वर्णित है –

> हम निष्कर्षों को संक्षिप्ततः निम्नवत प्रस्तुत करते हैंः–
>
> i) एमआरसी अभ्यर्थी जो नियम 16 (2) का लाभ उठाते हैं और आरक्षित श्रेणी में समायोजित होते हैं, उन्हें कुल आरक्षण की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य पूल में खाली की गई सीटों को चुनने का अवसर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।
>
> ii) नियम 16(2) के तहत, एमआरसी अभ्यर्थी की आरक्षित स्थिति सुरक्षित है ताकि उसका बेहतर प्रदर्शन उसे अधिक पसंदीदा सेवा के लिए आवंटित होने के अवसर से वंचित न करे।
>
> iii) विभिन्न सिविल सेवाओं के आवंटन के उद्देश्य से उनके द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं के संबंध में संशोधित नियम 16(2) केवल अभ्यर्थियों के

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

दो वर्गों के पारस्परिक वरीयता को पहचानने का प्रयास करता है, अर्थात (ए) मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, (बी) अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी।

iv) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी "ओबीसी, एससी/एसटी श्रेणियों से संबंधित" जिन्हें योग्यता के आधार पर चुना जाता है और सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची में रखा जाता है, वे सेवाओं के आवंटन के समय संबंधित आरक्षित श्रेणी में स्थानान्तरित होने का विकल्प चुन सकते हैं। नियम 16(2) द्वारा परिकल्पित इस तरह का स्थानान्तरण नियम 16(1) या संविधान के अनुच्छेद 14, 16(4) और 335 के साथ असंगत नहीं है।

140. हालांकि, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने प्रतिवाद किया है कि प्राधिकारियों ने गलत तरीके से एमआरसी अभ्यर्थियों को वरीयता के जिलों को आवंटित करते हुए "मूल रूप से" उन्हें "आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी" के रूप में माना है, जबकि इस न्यायालय के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में जिलों के आवंटन के लिए उक्त उद्देश्य के लिए एमआरसी अभ्यर्थियों को केवल "कल्पित रूप से" आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से मान लिया है कि एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा छोड़ी गई अनारक्षित सीटें सामान्य अभ्यर्थियों के और अधिक चयन के लिए उपलब्ध थीं, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का ऐसे एमआरसी के छोड़े गये पदों पर चयन हुआ, जिन्हें अनारक्षित रिक्तियों के स्थान पर आरक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष सामायोजित किया गया ।

141. यह न्यायालय मानता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का तर्क दूर की कौड़ी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का तर्क यह मानने से कि सामान्य श्रेणी, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए एक यथास्थिति है, स्पष्टतः प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य श्रेणी, जैसा कि नाम से पता चलता है, कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

कोई भी आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उपलब्ध 50% की सीमा तक तय है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि 100% आरक्षण मौजूद है, जिसमें 50% ओबीसी, एससी और एसटी के लिए है, जबकि अन्य 50% सामान्य वर्ग के लिए है। एक बार जब यह भ्रम दूर हो जाता है, तो यह तर्क भी अपने आप खत्म हो जाता है।

142. इसके अलावा, रमेश राम के फैसले को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में नहीं उद्धृत किया गया है, क्योंकि **"भारत संघ बनाम रमेश राम और अन्य (2010)7 एससीसी 234"** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2005 से 2007 तक की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 16 के उप–नियम (2) से (5) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर रही थी और आईएएस/आईपीएस/आईआरएस की प्रतिष्ठित सेवा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग की गई पसंद से संबंधित थी, जबकि वर्तमान मामले में, चुनाव का प्रयोग केवल एक अधिमान्य जिले से संबंधित है और अभ्यर्थी एक सहायक शिक्षक के रूप में बना रहता है, जो रमेश राम मामले से भिन्न है, जिसमें एक अभ्यर्थी को अपनी पसंद का चुनाव करके आईएएस/आईपीएस/ आईआरएस या कुछ अन्य संबद्ध सेवाआें में चुना जा सकता है। हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **"त्रिपुरारी शरण बनाम रंजीत कुमार यादव, (2018)7 एससीसी 656"** के मामले में, जो कि पीजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित था एवं जिसमें एक छात्र को अपनी पसंद के आधार पर एक अलग कॉलेज मिल जाता है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश राम के मामले में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्न निष्कर्ष निकाला:

"14. यहां ऊपर चर्चा किए गए मामलों के आलोक में, दोनों प्रश्नों का निम्न उत्तर दिया जाता है –

i) एक एमआरसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीट का विकल्प चुन सकता है, ताकि कम प्रतिभाशाली आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रति उसे नुकसान न हो। ऐसे एमआरसी को केवल सामान्य श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

ii) एमआरसी द्वारा किये गये चुनाव के कारण, आरक्षित श्रेणी की एक सीट भर जाती है, और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध अवसरों में से एक सीट खाली रहती है। परिणामतः, एक कम रैंक वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी जिसके पास आरक्षित श्रेणी के बीच विकल्प थे, प्रभावित होता है क्योंकि उसे अब कोई विकल्प नहीं मिलता है।

स्थिति को ठीक करने के लिए यानी प्रभावित अभ्यर्थी को उपचार प्रदान करने के लिए, 50 वीं सीट जो किसी एमआरसी को आवंटित की गई होती, अगर उसने उस आरक्षित श्रेणी के लिए सीट का विकल्प नहीं चुना होता जिससे वह संबंधित है, वह सीट अब आरक्षित श्रेणी की सूची में उस अभ्यर्थी के द्वारा भरी जायेगी जो एमआरसी के द्वारा विकल्प चुनने की वजह से नुकसान में था। यह आरक्षण के प्रतिशत को, जो कि 50% है, को अक्षुण्ण रखता है।

J. <u>दिनांक 05.01.2022 की 6800 की चयन सूची</u>

143. अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है कि क्या राज्य अपनी गलती मानते हुए 69000 की विज्ञापित सीटों के अलावा केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 6800 की एक अतिरिक्त सूची दिनांकित 05.01.2022 जारी कर सकता है। इस तरह की रिट याचिकाओं की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने इस चयन सूची को चुनौती दी थी, वे या तो एटीआरई–2019 को उत्तीर्ण करने में विफल रहे हैं या वे एसे अभ्यर्थी हैं, जो एटीआरई–2019 में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं थे, लेकिन जो बाद अर्ह हो गये। इस प्रकार, इन याचिकाकर्ताओं ने एटीआरई में प्रतिभाग करने के अपने भविष्य के दावे को देखते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि इस स्तर पर उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी अतिरिक्त सीट की अनुमति दी जाने से वास्तव में भविष्य की रिक्तियों में सीटों की संख्या कम हो जाएगी। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के इन समूह द्वारा मांगी जा रही राहत दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि इस न्यायालय में एटीआरई–2019 से संबंधित याचिकाओं की बाढ़ आ गई है और भविष्य के एटीआरई के लिए अभी कोई संभावना नहीं है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई आैर मुद्दों के विस्तार को ध्यान में रखते

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

हुए, इन याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत को अलग तरीके से निपटाया जा रहा है।

144. रिट याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ ने तर्क दिया है कि सचिव, बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 1389 (एसएस) 1991, जवाहर लाल बनाम यूपी राज्य में दाखिल हलफनामे दिनांकित 12.7.2021 के अनुसार 1.12.2018 को विज्ञापित 69000 के सभी पद चयन के बाद भरे जा चुके थे। वह यह भी उल्लेखित करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें इस राहत की मांग की गई थी कि कुछ रिक्तियां जो बाद में उत्पन्न् हुई थीं, उन्हें यहां ऊपर संदर्भित 69000 पदों के संबंध में विज्ञापन दिनांकित 1.12.2018 के अनुसार आयोजित चयन के आधार पर भी भरा जा सकता है; हालांकि, इस राहत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या (सिविल) 760/2020, शिवम पांडे और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य में पारित अपने निर्णय दिनांकित 11.2.2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया था। उक्त आदेश निम्नानुसार है:

> "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका अन्य बातों के साथ–साथ प्रार्थना करती है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के 26944 रिक्त पदों को वर्तमान चयन के माध्यम से भरने का निर्देश दिया जाए।
>
> पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
>
> गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के माध्यम से 69000 पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था।
>
> ऐसी स्थिति में 69000 से अधिक पदों को भरने के लिए संबंधित अधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।
>
> इसलिए हमें याचिका में कोई गुण नजर नहीं आता।
>
> तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।
>
> लंबित प्रार्थनापत्र, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।"

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

145. श्री सेठ ने यह भी निवेदन किया है कि प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट कार्यवाही में कहा था कि आरक्षित श्रेणी से भरे जाने वाले सहायक शिक्षक के 6800 पद उन 68500 रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं जिन्हें 9 जनवरी, 2018 को विज्ञापित किया गया था (एटीआरई–2018) एवं न ही उक्त एटीआरई–2019 का हिस्सा हैं क्योंकि स्वीकृत रुप से सभी सीटें भर चुकी हैं। इस प्रकार, उनके द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि इन रिक्तियों का न तो 01 दिसंबर, 2018 (एटीआरई–2018) को विज्ञापन दिया गया था और न ही उन्होंने 1 दिसंबर, 2018 (एटीआरई–2019) को इन रिक्तियों का विज्ञापन दिया था। इस प्रकार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कथित इन 6800 रिक्तियों को कभी भी विज्ञापित नहीं किया गया था और वे पूर्वोक्त उल्लिखित एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 से संबंधित चयन का हिस्सा नहीं थे इसलिए उन्हें उक्त चयन के आधार पर भरा नहीं जा सकता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए, जब तक इन रिक्तियों का विज्ञापन नहीं किया जाता और भर्ती के लिए नई भर्ती प्रक्रिया नहीं की जाती, कोई विकल्प नहीं है जिससे कि ये 6800 रिक्तियां भरी जा सकती हैं, लेकिन से ऐसा लगता है कि उपरि उल्लिखित 69000 पदों के चयन के आधार पर रिक्तियां भरी जा रही हैं, जो स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.2.2021 के फैसले और कानून के दायरे में है, साथ ही विधि के अधीन विषय में भी है। वह कहते हैं कि याचिकाकर्ता जो एटीआरई–2019 में सफल नहीं हुए हैं। इसके बावजूद, पश्चातवर्ती नई रिक्तियों में, जिसमें 6800 रिक्तियां शामिल होंगी, जो इस रिट याचिका की विषय वस्तु हैं, नवनियुक्ति हेतु विचारार्थ लिये जा सकते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं जिनमें से इन पदों को भरा जाना है। इसके अलावा, वे कहते हैं कि इन आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण स्वयं गलत है। इसलिए, सामान्य श्रेणी के अन्य याचिकाकर्ताओं को भी इस मामले में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि 6800 चयनित लोगों में से कुछ को प्रतिनिधिक क्षमता में पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी, 2022 को आरक्षित श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची जारी की गई है, जो कानून के अनुसार मान्य नहीं है और यह निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

146. यह न्यायालय श्री सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क में बल पाता है, जहां तक अधिवक्ता की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित उनकी दलील का संबंध है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अनुरोध में कोई बल मानने से इनकार कर दिया है। संबंधित अधिकारियों को एटीआरई–2018 के 26,944 रिक्त पदों को एटीआरई–2019 के माध्यम से भरने का निर्देश देने का मामला और इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों को 69000 से अधिक पदों को भरने के लिए कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। तथापि, जहां तक रिट याचिका की पोषणीयता का संबंध है, श्री सेठ का तर्क दूर की कौड़ी है। हालांकि, ए. संजय कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका सं. 65189/2006 में 25 मई 2007 के पूर्ण पीठ के निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ ये दोहराया गया है कि "कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि किसी भी पद पर हर वर्ष भर्ती की जानी चाहिए" और इसके अलावा, इन याचिकाकर्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इनके वाद का कारण अपरिपक्व हैं और याचिकाकर्ताओं पर यह साबित करने का घोर दायित्व है कि वे 'व्यथित व्यक्ति' हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर परिकल्पित किया गया है, जोकि इन याचिकाकर्त्ताओं द्वारा कहीं भी नहीं किया गया है और विशेष रूप से जब ये याचिकाएं जनहित याचिका के रुप में दाखिल नहीं की गयी हैं तब इनकी पोषणीयता का विषय विलग हो जाता है जिस पर टिप्पणी करनें से यह न्यायालय इस स्तर पर बच रहा है। इस न्यायालय का विचार है कि कानून इस पहलू पर स्पष्ट है कि यह अनुज्ञेय नहीं है कि सरकार विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष में अधिक नियुक्तियां करेगी। इस कानून को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों द्वारा स्थापित किया गया है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिक्तियों से अधिक लोगों को नियुक्त करना कानून के खिलाफ है और दूसरों के भी अधिकार के खिलाफ हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया जा सकता हैः यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईश्वर सिंह खत्री (1992) सप्लीमेंट 3 एससीसी 84 (ii)। गुजरात राज्य उप कार्यकारी अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य (1994) सप्लीमेंट 2 एससीसी 591,(iii) बिहार राज्य बनाम सचिवालय सहायक एस. ई. यूनियन ए. आई. आर. 1994, एस. सी. 736, (iv) प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, (1996)4

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

एससीसी 319 (v) अशोक कुमार बनाम चेयरमैन, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड एआईआर 1996 एससी 976. इनमें से प्रत्येक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता क्योंकि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना अनुच्छेद 14 सपठित अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार से निर्हित तथा वंचित करना है जिन्होंने रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख के बाद संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रश्नगत पद के लिए पात्रता अर्जित की है।

147. अग्रेतर, उपर्युक्त कालक्रम से यह स्पष्ट है कि 5 जनवरी, 2022 को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 6800 की चयनित सूची जारी करने की घटना के प्रति प्रत्यर्थी का रुख और कारण विरोधाभासी और अस्पष्ट दोनों हैं। प्रत्यर्थियों की स्वयं की संस्वीकृति के अनुसार, एटीआरई–2019 के आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए उक्त 6800 की चयनित सूची जारी की गई है और वे एटीआरई–2018 की 22,933 रिक्तियों से संबंधित नहीं थी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2022 को विशेष अपील संख्या 79 वर्ष 2020 (आलोक कुमार और अन्य बनाम यूपी राज्य) में पारित आदेश में कहा गया था । उपरोक्त स्वीकृति के स्वाभाविक निष्कर्ष हैं कि (i) एटीआरई–2019 की आरक्षण नीति को लागू करने में विसंगति है, जो कि इस न्यायालय की राय में 01.06.2020 की चयनित सूची को रद्द करने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण है और दूसरी, (ii) यदि, 6800 की चयनित सूची विसंगति को दूर करने का परिणाम है तो प्रत्यर्थी उक्त पहलू पर पूरी तरीके से मौन है, कि कैसे और किस तरह से उक्त विसंगति को दूर की जानी है, तीसरा (iii) यदि प्रत्यर्थी ने विसंगति को दूर करने का फैसला किया है, तो उक्त सूची से समान संख्या में अभ्यर्थियों को विरत किये बगैर प्रत्यर्थी कैसे 69000 संख्या का अतिक्रमण कर सकता है, चौथा (iv) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11 फरवरी, 2021 को याचिका (सिविल) संख्या 760 वर्ष 2020 "शिवम पांडे और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य" के अपने निर्णय में 69000 से अधिसंख्य नियुक्तियों के लिए कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी की स्वयं की संस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए 6800 आरक्षित श्रेणी की चयनित सूची

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

एटीआर–2019 भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित नहीं हो सकती तथा किसी भी रिक्ति को भरा नहीं जा सकता है । प्रत्यर्थी ने इसमें दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बाद 69000 सहायक शिक्षकों में से कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं ।

148. यह स्थापित कानून है कि कोई प्राधिकारी विज्ञापित पदों की संख्या से परे चयन/नियुक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को नियुक्ति के लिए ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को पश्चातवर्ती विज्ञप्ति द्वारा विज्ञापित नई चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से वंचित करता है जो उसके बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार अधिसूचित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरना न तो अनुज्ञेय है और न ही वांछनीय क्योंकि यह शक्ति के अनुचित प्रयोग के समान है। अधिसूचित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरना भविष्य की रिक्तियों को भरने के बराबर है और कानून में इसकी अनुमति नहीं है। सुरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 18 और होशियार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1993)Supp.(4) एससीसी 377 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विशेष संदर्भ का है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 10 में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः

> '10. ऐसे चयन के आधार पर अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति ऐसे अभ्यर्थियों को पदों पर नियुक्ति के लिए वंचित कर देगी जो विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को पात्र नहीं थे और जो इसके पश्चात अतिरिक्त पदों पर नियुक्त के लिए पात्र हो गये क्योंकि यदि उक्त अतिरिक्त पदों का विज्ञापन दिया जाता है, तो जो बाद में पात्र हो जाएंगे ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह सही अभिनिर्धारित किया था कि 19 व्यक्तियों का चयन बोर्ड द्वारा किया जाना जबकि बोर्ड की निर्धारित मांग केवल 8 पदों के लिए थी, विधिक रुप से मान्य नहीं है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

149 . अग्रेतर, अरूप दास और अन्य बनाम असम राज्य (2012) 5 एससीसी 559, मामले में उक्त निष्कर्ष को दोहराया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> "17. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई प्राधिकारी विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक कोई चयन/नियुक्ति नहीं कर सकता है, भले ही विज्ञापित पदों की तुलना में बड़ी संख्या में पद उपलब्ध हों। उक्त निर्णय के पीछे सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन होगा क्यूंकि जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे रिक्त पदों के लिए आवेदन नहीं करने का निर्णय लिया था जिनको भरा जाना वाछंनीय था, वे भी आवेदन कर सकते थे यदि उन्हें पता होता कि अन्य रिक्तियां भी भरे जाने के लिए विचाराधीन होंगी।"

150. उपरोक्त सभी कारणों से, 6800 की चयनित सूची दिनांक 05.01. 2022 को, जिसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन के लिए जारी किया गया, कानून की दृष्टि में नहीं ठहरती है।

K. <u>निष्कर्ष</u>

151. इस प्रकार, यह न्यायालय इस मत की है कि टीईटी के स्तर पर दी गई रियायत, जिससे कि एक अभ्यर्थी को खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का पात्र बनाया जा सके, जैसे एटीआरई–2019 में, ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को खुली प्रतिस्पर्धा में विचारार्थ लेने के लिए अयोग्य नहीं करेगा यदि वह सामान्य श्रेणी में अंतिम सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के बराबर या अधिक अंक प्राप्त करने में सक्षम है क्योंकि प्रतिस्पर्धा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने में अंकों में छूट चाहता है, तो स्पष्ट रूप से एटीआरई–2019 में उसे एमआरसी का नहीं माना जाएगा क्योंकि न केवल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है बल्कि इस छूट का अर्थ होगा आरक्षण।

<u>अस्वीकरण</u> : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

152. इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए यदि किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिसने 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वह एमआरसी अभ्यर्थी के रूप में विचार किया जा सकता है और तदनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करने और सामान्य वर्ग में पहुँचने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने यदि 65 प्रतिशत से कम और 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो एटीआरई–2019 में उस पर अपनी–अपनी श्रेणी में विचार किया जाएगा और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के क्षेत्र में, नियमों के परिशिष्ट–1 के अनुसार गुणवत्ता बिंदु में अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर, विचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त प्रस्ताव का सरल रूप से अर्थ है कि (i) आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी, जिसने एटीआरआ ई–2019 में अंकों में छूट का लाभ उठाया है, जो एक खुली प्रतियोगिता माना गया है, नियमों के परिशिष्ट–1 के संदर्भ में गुणवत्ता के अनुसार चयनित सूची तैयार करते समय अपनी संबंधित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित होने का हकदार नहीं होगा, (ii) इसके अलावा, वे अभ्यर्थी जो चाहे आरक्षित हों या अनारक्षित, एटीआर–2019 में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें खुले श्रेणी के विचार क्षेत्र के भीतर शामिल किया जाएगा और तदनुसार एक चयन सूची गुणवत्ता अंको के अनुसार तैयार की जाएगी और कुल पद का पचास प्रतिशत इन अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा चाहे वे आरक्षित श्रेणी से हों अथवा अनारक्षित श्रेणी से ।(iii) शेष 50 प्रतिशत, आरक्षण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत परिकल्पित अपनी संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।(iv) तत्पश्चात, यदि कोई क्षैतिज आरक्षण हो, जैसा सरकारी आदेश में उपबंधित है, तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

153. जहां तक एमआरसी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता वाले जिले आवंटित करने का संबंध है, एमआरसी अभ्यर्थियों को जिलों के आवंटन के उद्देश्य के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में केवल 'कल्पित रूप' से माना जाना चाहिए और वे आरक्षित श्रेणी के लिए चिन्हित सीट का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नुकसान न पहुंचे। इस तरह के एमआरसी को केवल सामान्य श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा,

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

एमआरसी के चुन लेने के कारण, आरक्षित श्रेणी के एक सीट भर जाते हुए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपलब्ध विकल्पों में से एक सीट खाली रहती है। परिणामस्वरूप, एक कम रैंकिंग वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी, जिसके पास आरक्षित श्रेणी के विकल्प थे, प्रभावित होता है क्यूंकि वह और कोई विकल्प नहीं चुन पाता, और इस स्थिति के उपचार के लिए, अर्थात, प्रभावित अभ्यर्थी को उपचार प्रदान करने के लिए वह सीट जो एमआरसी को आवंटित होती यदि उसने आरक्षित श्रेणी की सीट न चुन ली होती, उस आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी द्वारा भरी जायेगी जो एमआरसी द्वारा चुनाव किये जाने के कारण वंचित हो गया है। इससे आरक्षण का प्रतिशत 50% बिना व्यवधान के यथावत रहेगा।

154. प्रकट रूप से, वर्तमान मामले की सुनवाई के दौरान, आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के अंक और विवरण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी जो एटीआर्इ–2019 में प्रतिभाग किये हैं। प्रत्यर्थियों जो एटीआर्इ–2019 के रिकार्ड के संरक्षक है आैर जिन्हें उक्त रिकार्ड प्रदान करने में इस न्यायालय की सहायता करनी थी, उनकी ओर से ऐसा कोर्इ प्रयास नही किया गया। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य 01 जून 2020 की चयनित सूची की समीक्षा करेगा और नियमों के परिशिष्ट–1 के अनुसार अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक तैयार करेगा और इस न्यायालय के निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। यह प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर की जाएगी।

155. वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में और विशुद्ध रूप से साम्या एवं संतुलन के लिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि जब तक प्रत्यर्थियों द्वारा संशोधित सूची तैयार नहीं की जाती है, तब तक पहले से ही नियुक्त किए गए अभ्यर्थी और वर्तमान में विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे अभ्यर्थी इस अवधि तक अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और कार्यविलग नहीं किये जायेंगे। ऐसा परीक्षा की अवधि और अंत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सत्र की अवधि समाप्त होने के कारण किया जायेगा। इस न्यायालय का मानना है कि उन शिक्षकों की नियुक्ति, जिन्हें संशोधित सूची में कोई स्थान नहीं मिला है, जैसा कि

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

यहां ऊपर निर्देशित किया गया है और जिन्हें 01.06.2020 की चयन सूची के अनुसार नियुक्त किया गया है उनकी सूची पूरी तरह से आकस्मिक थी और उनकों कोई आैर अधिकार नहीं देती। यह निर्देश 7 दिसंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के अनुरूप है, जिसमें इस न्यायालय ने प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी करते समय निर्देश दिया था कि इस बीच, सहायक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्तियां इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

156. जैसा कि तथ्यों में ऊपर वर्णित किया गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है चाहे वे आरक्षित वर्ग से संबंधित हों या अनारक्षित वर्ग से संबंधित हों और वे पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह प्रत्यर्थीगण थे जो आरक्षण की धारा 3(1) और 3(6) के प्रावधानों को लागू करने के संवैधानिक कर्तव्य के अधीन थे जोकि नहीं किया गया है। यह न्यायालय समानता को संतुलित करने के लिए और इसे ध्यान में रखते हुए कि यह युवक युवतियां जो शिक्षक के रूप में इस देश के भविष्य को आकार देने जा रहे हैं, राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि सरकार वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और इन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति तैयार करेगी, जिन्हें चयनित सूची दिनांकित 01.06.20020 में संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है। जैसा कि "**गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य, (2018) 11 एससीसी 352**" के अलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में निष्कासित अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

157. पक्षकार बनाने सम्बन्धी समस्त आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं।

158. चूँकि यह निर्देश दिया गया है कि इस निर्णय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए कि चयनित सूची दिनांकित 01.06.2020 का पुनरीक्षण किया जाए, 6800 अभ्यर्थियों की 05.01.2022 दिनांकित चयनित सूची रद्द की जाती है।

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

159. आरक्षण किसी भी परिस्थिति में कुल सीटों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

160. सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अधीन किया जाता है, और सभी अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं।

161. वर्तमान मामले के तथ्यों में, वादव्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आदेश तिथिः 13.03.2023

एस. शिवहरे/–

अस्वीकरण : क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

Digitally signed by :-
ANUPAM SRIVASTAVA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench